दिनांक 18 जनवरी, 2017 को प्रातः 10:30 बजे, प्रयास भवन धर्मशाला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की सूची **अनुबन्ध 'क'** पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0प्र0 द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री हि0प्र0 सरकार, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में पधारने पर स्वागत किया गया। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय हि0 प्र0 सरकार एवं सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गो के कल्याण के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बैठक में अपने समुदाय के लोगों के विकास एवं उत्थान के लिये अपने बहुमुल्य सुझाव दें तथा उन्होंने चाहा कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं तथा सुविधाओं की जानकारी अपने समुदाय तक पहुचाएं।

इसके उपरान्त माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार द्वारा इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गो की समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करना है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या 9,27,542 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.27 प्रतिशत है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों को चिन्हित करने के लिए हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अभी तक 51 जातियों को शामिल किया गया है। सरकार ने अन्य पिछडा वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से Creamy Layer में आय सीमा 4.50 लाख रूपये से बढ़ाकर 6.00 लाख रूपये वार्षिक की है। अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से सीधी भर्ती में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत तथा तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में सभी गैर सरकारी सदस्य का आहवान किया गया कि वे अन्य पिछड़ा वर्गो की समस्याओं तथा उनके विकास के लिये अपने सार्थक सुझाव रखें ताकि इन योजनाओं को और अधिक सार्थक और कारगर बनाया जा सके।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई जिसमें निम्न अनुसार कार्यसूची पर चर्चा की गई :—

दिनांक 07–01–2015 को सम्पन्न हुई नौवीं बैठक की अनुवर्ती मदें

79. हिमाचल प्रदेश में JICA के द्वारा किसानों की कृषि को उन्नत करने के लिए प्रोजैक्ट लगाया जाता है जो गांव में कर्णधार बनाये जाते है वह अपनी मनमानी करते है और पूर्ण रूप से JICA द्वारा जो सहायता किसानो को दी जाती है उससे वंचित रखा जाता है और मैहल गांव शेर में कृषक विकास संघ (जेसिसाक्शन सोसायटी) के नाम से चलाई गई है जिस द्वारा मनमानी ढ़ंग से कार्य किया जा रहा है किसानो को लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके।

(जगदीश चन्द गांव व डा0 महल तह0 भोरंज जिला हमीरपुर)

गत बैठक में माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा बताया गया कि कम्पनी द्वारा किसानों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें कृषि विभाग ने उत्तर दिया कि रोजगार का मामला श्रम एंव रोजगार विभाग से सम्बन्धित है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एंव रोजगार द्वारा सूचित किया गया कि यह मामला प्रोजैक्ट से सम्बन्धित ही है तथा सम्बन्धित प्रोजेक्ट द्वारा रोजगार प्रदान कर दिया गया है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

दिनांक 09–02–2016 को सम्पन्न हुई दसवीं बैठक की अनुवर्ती मदें।

8. छतरी ज़िरो चौक से मगरू महादेव मन्दिर छतरी तक सड़क का निर्माण किया जाए जिसकी लम्बाई लगभग 300 मीटर है।

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने गैर सरकारी सदस्य को जमीन विभाग के नाम करवाने उपरान्त विभाग को निर्देश दिए कि मामला विभागीय नस्ति पर प्रस्तूत करे।

बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि 500 मीटर सड़क पंचायत द्वारा बनाकर तैयार कर ली गई है, बाकि निजी भूमि आने से काम रूका हुआ है। अध्यक्ष महोदय ने विभाग को निर्देश दिए कि बाकि जमीन देने के लिए स्थानीय लोगों से भूमि को Gift deed देने के लिए आग्रह किया जाए और शेष सड़क को पूर्ण किया जाए। सरकार सड़क सुविधा इत्यादि देने हेतु कृत संकल्प है बेशर्त कि स्थानीय लोग निजी भूमि को Gift deed देने को तैयार हो **तत्पश्चात मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

15 **शिमला मण्डी रोड़ पर घंड़ल छटेरा से ग्राम टूल तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शकराह तक सडक बनाने हेतु बजट देने बारे।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

गत बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्रामीण विकास विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच करे कि कितनी भूमि वन विभाग की है और मामले में आवश्यक कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय ने पुनः आदेश दिए कि जब तक रोड़ नही बन जाती तो ग्रामीण विकास विभाग इस सड़क को 1 कि0मी0 बनाकर तैयार करे।

(ग्रामीण विकास विभाग)

16. **ग्राम भुटुआ को लिंक रोड़ बनाने हेतु राशि की मांग बारे निवेदन है कि यह ग्राम घनाहट्टी–काली हट्टी मार्ग पर स्थित है इस लिंक रोड़ का सर्वे भी हो चुका है। अधिकतर जमीन जमीदारों की है । कृप्या 4 लाख रूपऐ स्वीकृत करने की कृपा करे।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

गत बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए थे कि मामले का पुनः सर्वेक्षण करके इसकी जांच करे।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया है कि 400 मीटर सड़क ग्राम पंचायत द्वारा बनाकर तैयार कर ली गई है। इस पर माननीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि मौके पर कोई भी सड़क नही बनी है। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि सचिव, ग्रामीण विकास मामले की जांच करे तथा उपायुक्त शिमला को इस कार्य को करने हेतू 4.00 लाख रू0 स्वीकृत करने बारे आदेश दिए गए। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

28. **दरीणी शाहपुर रोड़ के लिए पावर प्रोजेक्टों से धन लेकर रोड़ की हालत सुधारने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने आदेश किये थे परन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही नही हुई ।**

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी कांगड़ा)

गत बैठक में चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि लोक निर्माण विभाग मामले में प्रशासनिक सचिव को लिखे तदानुसार कार्य के लिए राशि उपलब्ध करवा दी जाऐगी।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि 12 कि0मी0 सड़क बनाकर तैयार कर ली गई है और 12 कि0मी0 बननी बाकि है जिसके लिए 2.50 करोड़ का प्राक्कलन तैयार करके सम्बन्धित उपायुक्त को भेजा जा चुका है। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

29. **धबास ऐैक्सचेंज से फैड़ज, कहुला, अन्तरावली की रोड़ मोटर मार्ग का सर्वे हाल में ही किया गया है जिसका काम विभाग अभी तक पूरा नही कर पा रहा है, अतः निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये।**

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

गत बैठक में लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया था कि फेड़ज, कहुआ, अन्तरावली सड़क वर्ष 2007–08 की विधायक प्राथमिकता में सम्मिलित है। इस सड़क की कुल लम्बाई 9.00 कि0मी0 बनती है जिसमें की निजी भूमि व वन भूमि है। Gift Deed विभाग को मिल चुकी है। Forest Case बनकर तैयार है लेकिन जिलाधीश शिमला से FRA Certificate प्राप्त नही हुआ है। Forest Case स्वीकृति होने के उपरान्त इस सड़क की DPR स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। उसके उपरान्त ही इस सड़क का कार्य किया जा सकेगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया कि 8 कि0मी0 सड़क का कार्य शुरू कर दिया गया है। FR का केस बना दिया गया है और यह भी अवगत करवाया है कि कार्य कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

49. **JICKA जो प्रोजेक्ट टीका सेर में चल रहा है यह स्कीम विभाग कि तरफ से मुकमल हो गई है तथा सभी किसानों को नही बताया गया है कि उन्होंने 26,000 लाख रूपये खर्चा बोर्ड पर दर्शाया है तथा 3000 लाख रूपये बकाया में रहता है । कुल राशी 29,000 बोर्ड में बताई गई है। सरकार से निवेदन करते है कि उन्होंने जो कनेक्शन पानी के दिये है उसकी जांच होनी चाहिए।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

गत बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से मद बारे सूचना प्राप्त नहीं हुई थी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कृषि विभाग को आदेश दिए कि इसकी जांच करने उपरान्त इसकी Status रिर्पोट प्रस्तुत करें।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर को आदेश दिए कि मामले की जांच करे तथा **मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें

73. **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भराड़ी खण्ड घुमारवीं की एक्स–रे मशीन पिछले 6 महीने से खराब पड़ी है। इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है। इसके लिए विभाग बजट का प्रावधान करने की कृपा करे।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा , तह0–भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया है कि सी0एच0सी0 भराड़ी में एक्स–रे मशीन लगा दी गई तथा कम वोलटेज की वजह से कभी–2 कार्य में बाधा

आती है तथा बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने बारे मामला वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता विद्युत मण्डल घुमारवीं से उठाया गया है। **अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

74. **सी0एच0सी0 भराड़ी के नए औ0पी0डी0 भवन का निर्माण पिछले 1 वर्ष से ठप्प पड़ा है । इसे तुरन्त करवाने के लिए पी0डब्लयू0डी0 विभाग को निर्देश जारी किए जाए। क्योंकि यह मामला जनता के स्वास्थ्य से जुडा हुआ है।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा ,उप तह0–भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया है कि सी0एच0सी0 भराड़ी में नए ओ0पी0डी0 भवन का कार्य प्रगति पर है। भूमि के बराबर स्तम्भ खड़े कर दिए गए है तथा कार्य कर दिया जायेगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

75. **सी0एच0सी0 भराड़ी में नेत्र सहायक का पद स्वीकृत किया जाऐ क्योकि यहां पर नेत्र जांच के लिए 15 कि0मी0 घुमारवीं जाना पड़ता है। विभाग के द्वारा पिछले वर्ष एक नेत्र सहायक को प्रतिनियुक्ति पर सी0एच0सी0 भराड़ी में लगाया गया था, परन्तु उसे दोबारा वापिस बुला लिया गया है। कृपया यहां पर नेत्र सहायक का पद स्वीकृत करने की कृपा करे।**

(श्री विजय कुमार,गांव कुठेडा, उप तह0 भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया है किः–

Post of Ophthalmic Officer has been created/sanctioned at CHC Bharari and the official concerned is posted at CHC Bharari. **अतः मद को विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समाप्त कर दिया गया।**

76. **पी0एच0सी0 सुसनाल के लिए चिकित्सा स्टॉफ की नियुक्ति की जाये सरकार के आशीर्वाद से इसे 6 महीने पहले खोलने की घोषणा की जा चुकी है। परन्तु स्टॉफ न होने के कारण इसे खोला नही जा रहा है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए जाये।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा , उप तह0 भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया है किः–

PHC Susnal has been made functional by creating/sanctioning the posts of Medical Officer, Pharmacist & Class-IV. However, Medical Officer (Dr. Manjula) and Pharmacist (Smt. Manju) have been posted there. **अतः मद को विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समाप्त कर दिया गया।**

77. **सी0एच0सी0 रती जिला मण्डी में जब–2 भी आवश्यकता पड़ी तब माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने छः से ज्यादा अनुभवी डाक्टर कार्यरत रखे। सी0एच0सी0 रती की प्रतिदिन की औ0पी0डी0 लगभग 300 से ज्यादा होती है। आजकल सी0एच0सी0 रती में दो नए डाक्टर लगे है तब से सी0एच0सी0 रती की ओ0पी0डी0 में भारी गिरावट आई है जिस**

कारण लोगों को प्राईवेट अस्पताल में मंहगा ईलाज करवाना पड़ता है। जिन अस्पतालों की ओ0पी0डी0 15 से 20 तक है वहां पर 4–5 डाक्टर तैनात है इसके अलावा पी0एच0सी0 लेदा ,रिवालसर, बग्गी छम्यार में डाक्टरों के पद खाली पडे हैं।

(श्री गोबिन्द राम नायक,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया है किः–

As per staffing/population norms for opening/up-gradation of health institutions 6 MOs are posted at PHC Ratti. The positions of Medial Officers at CHC Ratti, and at PHCs ledda, Rewalsar, Baggi, Chhamyar is as under:-

Sr. No.	Institution	No. of Posts of Medical Officers			Remarks
		Sanctioned	In-position	Vacant	
1.	CH Ratti	6	3	3	-
2.	PHC Ledda	1	0	1	AMO is posted
3.	PHC`Rewalsar	4	-	4	1 AMO is also posted.
4.	PHC Baggi	2	2	-	-
5.	PHC Chhamyar	1	0	1	-

अतः मद को विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समाप्त कर दिया गया।

78. **बी0एम0ओ0 रती जो पहले कार्यरत थे स्पेशलिस्ट होने के नाते मरीजों को भी देख लेते थें। लेकिन विभाग को यह अच्छा नही लगा और बी0एम0ओ0 को एक साल से कम समय में ही बदल दिया जो बी0एम0ओ0 रती आज लगाया गया है वह नाम मात्र का ही है वह सप्ताह में दो दिन ही अस्पताल आती है। उसे अस्पताल की कोई परवाह नही है उसे जोनल अस्पताल में तैनात कर रखा है। कृप्या मामले की छानबीन की जाए।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0 ट्रोह,तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया किः–

The Posts of BMO is lying vacant. However, additional charge of BMO Ratti has been assigned to BMO Rohanda.

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभाग को आदेश दिए कि 15 दिन में DPC करके BMO को तैनाद करे। तत्पश्चात मद को समाप्त कर दिया गया।

79. **सी0एच0सी0 रती में आँख के देखने के लिए दो Albirism है। जहां की कमरे में एक ही कुर्सी है और एक समय में एक ही Albirism काम कर पाता हैं दूसरी Albirism जो सिर्फ चश्में बेचने का ही काम करती है और अस्पताल कभी–कभार ही आती है। जब स्थानीय जनता ने बी0एम0ओ0 रती से इस सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि वह स्वास्थ्य मंत्री जी के निजी सचिव की बहन है , और उसे सतर्कता विभाग ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा ओर फिर भी उसे सरपल्स रखा हुआ है। इसमें बी0एम0ओ0 ने कुछ करने के लिए अपनी असमर्थता दिखाई है। इसके अलावा जिन–2 डाक्टरों ने इसके विरूद्व कुछ**

कार्यवाही की उन्हें तो उल्टी सजा ही मिली है। मामला की गम्भीरता से छानबीन की जाये।

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0 ट्रोह,तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि:–

At present only one Ophthalmic Assistant is working at CHC Ratti against one sanctioned post. The Ophthalmic Officer against whom the complaint was made by the Kalyan Board has since been retired form Govt. Service on 30.09.2016.

अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

80 सी0एच0सी0 रती में भवनों की मुरम्मत लगभग पिछले सालों से नही हो रही है, जिस कारण ये भवन रहने योग्य नही है। डाक्टरों व नर्सो के भवन मुरम्मत करने योग्य हो गए है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भवनों में तो बरसात व वर्षा का पानी कमरों में भर जाता है। पैसे के अभाव में इनकी मुरम्मत नही हो पा रही हैं। अस्पताल में जब भी R.H.S का पैसा आता है, तो उसे अन्य कार्यो जैसे मुरम्मत,फर्नीचर इत्यादी पर खर्च किया जाता है। अतः अनुरोध है की इस सी0एच0सी0 को रैफरल अस्पताल में बदलकर स्पेशलिस्ट डाक्टर व नर्सो को लगाया जाए ताकि स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सकें व गरीबों को प्राईवेट अस्पताल के खर्च से राहत मिल सके

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि:–

At present there are 3 Type–III quarters of Medical Officers, 4 Type-II of Class-III quarters & 5 of Type-I Class-IV quarters at CH Ratti. The staff quarters at first floor are not habitable. Estimates have been asked from the PWD Department and the same are still awaited from the concerned.

अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

81 हि0प्र0 अन्य पिछडा वर्ग कल्याण बौर्ड की नोवी बैठक जो 7.1.2015 को सम्पन हुई थी, में मद संख्या 37 के अर्न्तगत , जिला बिलासपुर ,तह0. घुमारवीं की ग्राम पंचायत बरोटा के अंतर्गत, लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखतें हुए, इस क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की प्रार्थना की गई थी। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25.01.2015 को बिलासपुर में आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस पर इसे खोलने की घोषणा कर दी है। हाल ही में इसे खोलने की स्वीकृति मन्त्रिमण्डल ने भी प्रदान कर दी है। मैं अपने क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस स्वास्थ्य केन्द्र को सुसनाल में खोलने पर धन्यवाद करता हूं। आग्रह करता हूँ कि इसे शीघ्र आरम्भ किया जाए।

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि:–

PHC Susnal has been made functional by creating/sanctioning the posts of Medical Officer, Pharmacist & Class-IV. However, Medical Officer (Dr. Manjula) and Pharmacist (Smt. Manju) have been posted there. **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

82 **जुलाई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिरमौर में जनता को सम्बोधित करते हुए रामपुर भातपुर पी0एच0सी0 जो ई0एस0आई0 में तबदील हो चुकी है लेागों की मांग को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रामपुर भातपुर ई0एस0आई0 को Denotification करके इसे पुनः पी0एच0सी0 बहाल करने की घोषणा की थी। कृपया Denotification करके प्रतिलिपि दी जाए ताकि लोगों को कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।**

(श्री ज्ञानचन्द ,ग्राम रामपुर , धोलाकुंआ,जिला सिरमौर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया किः–

The proposal has already been under consideration of Government.

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने विभाग को इसे 15 दिन में Denotify करने हेतु आदेश दिए। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

83 **ग्राम पंचायत खद्दर की डिसपैन्सरी में कोई भी सरकारी कर्मचारी नही है जिस की वजह से 5000 लोग को ईलाज करवाने के लिए बहुत दूर नेरूवा या चौपाल जाना पड़ता है। अतः निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।**

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया गया किः–

There is no PHC at Khaddar, However, a sub-centre is functional there. As per staffing norms only 1 post of Male Health Worker & 1 post of Female Health Worker has been sanctioned there and both are filled up.

अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

पशुपालन विभाग से सम्बन्धित मदें

84 **ग्राम पंचायत मरहाणा के अन्तर्गत गांव कुठेडा में एक पशु औषधालय खोला जाए । यहां पर 3–4 कि0मी0 तक कोई भी औषधालय नहीं है। इसके खुलने से करीब दस गांवों को बहुत सुविधा होगी। औषधालय को भूमि दान के लिए श्री रत्न लाल चौधरी, गांव कुठेडा अपनी भूमि सड़क के किनारे दान देने को तैयार है।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा ,घुमारवी,बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान पशु पालन विभाग द्वारा सूचित किया है कि ग्राम पंचायत मरहाणा के अन्तर्गत गांव मरहाणा में एक नियमित पशु औषधालय कार्यरत है तथा सरकार की निती के अनुसार एक ग्राम पंचायत में एक ही पशु चिकित्सा संस्थान खोलने का प्रावधान है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

85 **ग्राम पंचायत गलमा में पशुपालन विभाग की डिस्पैंसरी हेतु बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है, किन्तु इस भवन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान पशु पालन विभाग द्वारा सूचित किया है कि ग्राम पंचायत गलमा में पशु औषधालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा पलीन्थ लेवल तक पूर्ण हो चुका है। परन्तु माननीय सदस्य ने बैठक के दौरान अवगत करवाया कि कार्य शुरू नही किया गया है। तत्पश्चात चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने मामले में अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी को मामले की जांच हेतू आदेश दिए। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

86 ग्राम पंचायत खद्दर में वैटनरी नौकड़ापुल से उठाकर ग्राम पंचायत खद्दर में स्थानान्तरण कि जाए क्योकि सभी पशु ग्राम पंचायत खद्दर में हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह है कि नौकडा से खद्दर में वैटनरी स्थानान्तरण कि जाये।

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान पशु पालन विभाग द्वारा सूचित किया है कि उप निदेशक पशु पालन, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन शिमला द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी उप–मण्डलीय चिकित्सालय चौपाल के माध्यम से प्रधान ग्राम पंचायत खद्दर को ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का प्रस्ताव व गांव नौकड़ापुल के पशु पालकों से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतू मामला उठाया है जिसका उत्तर अभी तक उक्त पंचायत से प्राप्त नही हुआ है। पंचायत से सूचना उपलब्ध होने पर विभाग आवश्यक कार्यवाही अमल में लाऐगा। परन्तु बैठक में माननीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया कि वैटनरी स्थानातरण के आदेश हो चुके है और उन द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय का धन्यावाद किया गया। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

विद्युत परिषद् से सम्बन्धित मदें

87 झण्डूता Elect. 33 K.V. Sub Station से 11 K.V. **लाईन झण्डूता से तलाई तक गई है जो काफी लम्बी है इसके उपर तहसील झण्डूता के पास एक** G.O. Switch **लगाने की कृपा करें ताकि सुचारू रूप से कार्य चलता रहें।**

श्री प्रकाश चन्द कपिल,गांव ठप्पर ,तह0 झण्डूता,जिला बिलासपुर)

सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार 33 K.V. Sub Station झण्डूता से 11 K.V लाईन झण्डूता से तलाई तक गई है वह काफी लम्बी है। और इस लाईन के अन्तिम छोर के नजदीक विद्युत बाधा होने पर जो अन्य ट्रांसफार्मर इस लाईन पर झण्डूता के आस–पास स्थापित किए गए हैं उनकी विद्युत सप्लाई भी बन्द हो जाती है। इसके लिए 63 के0वी0ए0 उपकेन्द्र पराह के नजदीक एक 11 के0वी0 का जी0ओ0 स्विच दस दिन के अन्दर लगा दिया जाएगा। जिससे यदि कोई विद्युत बाधा उत्पन होती है तो झण्डूता व आस–पास के गांवों में विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।**

88 टीका भटनाला में लगभग 40–50 घर है और इसकी बिजली की वोल्टेज बहुत कम है। जब कि हमने विभाग से अनुरोध किया था तो विभाग ने 15 K.V.Transformer N.H-**20 से 20 मीटर की दूरी पर लगा दिया था परन्तु इस का फायदा सिर्फ 5, 6 घरों को ही मिल रहा है, जो के** N.H-**20 के किनारे है मेरा अनुरोध है कि इस ट्रांसफार्मर की क्षमता**

बढ़ाई जाये ताकि हमें भी सही बिजली की पूर्ती मिल सकें । यहाँ तक कि इसका हमने जे0ई0 खोली सब डिवीजन कांगड़ा न0 2 से सर्वे करवाया था। इस ट्रांसफार्मर से भाटनाला की दूरी लगभग 500 मीटर है और वहाँ से लगभग 12 पोल लगेंगे तब बिजली की स्पलाई बड़ी आसानी से टीका भाटनाला तक लिंक रोड़ से होते हुए पहुंच सकती है।

(एक्स–सूबेदार रोशन लाल , गांव खोली (टीका भाटनाला) तह0जिला, कांगडा)

सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार टीका भटनाला में पहले 16 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। लोगों के अनुरोध पर इस ट्रांसफार्मर की क्षमता 16 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 सम्बर्धित कर दी गई है। जिससे अब वोल्टेज की कोई भी समस्या नहीं है। आज दिनांक 27.01.2016 को सहायक अभियन्ता, विद्युत उपमण्डल, कांगड़ा न0 2 व जे0ई0 कच्छियारी ने टीका भटनाला में एक्स सूबेदार रोशन लाल, गांव खोली (टीका भटनाला) तहसील व जिला कांगड़ा की उपस्थिति में निरीक्षण किया व पाया कि वहां के घरों में 226 वोल्ट बिजली पहुंच रही है। लोगों ने बताया कि अब यहां पर वोल्टेज़ की कोई भी समस्या नहीं है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।**

89. **ग्राम पंचायत माजरा के ग्राम रामपुर पासवाला हेतु बिजली की वोल्टेज कम होने के कारण नया ट्रांसफार्मर लगवाने बारे निवेदन है की उपरोक्त ग्राम पंचायत माजरा के ग्राम पासवाला में बिजली की वोल्टेज कम होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा सिंचाई के लिए अपने ट्यूबवेल लगा रखे है तथा बिजली की खपत अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर को बदल कर बडा ट्रांसफार्मर लगवाया जाये ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। अतः सरकार से निवेदन है की उपरोक्त विषय पर अति शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाये।**

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग उपरली, तह0 नालागढ,जिला सोलन)

सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायत माजरा के ग्राम रामपुर पासवाला में वर्तमान विद्युत प्रणाली के सुधार हेतु लाईनों को संर्वधन करके कम वोल्टेज की समस्या का समाधान लगभग 4 महीने के अन्तराल में कर दिया जाएगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।**

90 **हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड के माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा किसानों को 4–4 महीने का बिल दिया जाता है जिससे कि रीडिंग ज्यादा होने के कारण यूनिट रेट बढ़ जाते है और किसान वर्ग बहुत ज्यादा दिक्कत में है। अतः बोर्ड को हिदायत दी जाये कि गांव वर्ग को देखते हुए, इसे दुरूस्त किया जाये।**

(श्रीमति त्रिशला चौधरी, गांव मुगलांवाला, डा0 राजवन तह0 पांवटा साहिब)

सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार बिजली बोर्ड की यह कोशिश रहती है कि किसानों को प्रति माह बिजली का बिल वितरण किया जाए परन्तु बिजली बोर्ड में स्टाफ की कमी के कारण कभी कभार ही 4–4 महीने के बाद बिल दिया जाता है। जहाँ तक रिडींग ज्यादा होने के कारण यूनिट रेट बढ़ने का प्रश्न है, यदि एक महीने से अधिक बिजली का बिल जारी किया जाता है तो यूनिट का मुल्यांकन प्रतिमाह निर्धारित दरों के हिसाब से दिया जाता है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।**

परिवहन निगम से सम्बन्धित मदें

91 **आनन्द घाट से मण्डी या सुन्दर नगर तक बस सेवा चलाई जाऐ जो 5 बजे चलाई जानी चाहिए जिससे तहसील,कोषागार,विधुत व शिक्षा कर्मचारी भी जा सके व अन्य को भी सुविधा मिल सके।**

(श्री प्रकाश चन्द कपिल,गांव ठप्पर ,तह0झण्डूता,जिला बिलासपुर)

हि0प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि बस सेवा 16–01–2017 से शुरू कर दी गई है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

92 **दिल्ली बस को बन्द हुए तीन साल हो गया है इसको पुनः चलाया जाए इसमें निम्नलिखित पंचायते आती हैं करहा, साहनवी, ताता, अमण, मैहल इसे पुनः चालू करके लोगों को खुशी कि लहर आयेगी तथा सरकार के आभारी समाज होगा।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

हि0प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि सरकाघाट से दिल्ली बस सेवा पहले से ही चल रही है। ट्रायल बस पहले चला दी गई थी परन्तु आय न होने के कारण इसे बन्द कर दिया गया। एक बार फिर से बस सेवा ट्रायल पर शुरू कर दी जायेगी यदि इससे आय अर्जित हो जाएगी तो इस रूट को स्थाई रूप से चलाया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

93 **मण्डी से छतरी एच0आर0टी0सी0 बस लगाई जाए जिसका रात्री ठहराव छतरी में होना चाहिए जिससे 6 पंचायतों के लोगों को तहसील मुख्यालय तक जाने की सुविधा मिल सके।**

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

हि0प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि मण्डी से करसोग 5 बसे चल रही है। करसोग से छतरी के लिए रात को एक बस चला दी जाएगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

94 **यदि कोई भी सामान बडी गाड़ी में राजा साहिब के महल की तरफ ले जाना होता आज की डेट में एक और गाड़ी साथ करनी पड़ती है। इस इमारत के हटने से यह समस्या भी दूर हो जाएगी और इसी सरकार की कृपा से यह रोड़ ढली से कन्डाघाट को सीधा व कम ट्रैफिक वाला रोड़ होगा जिस से शिमला की भारी ट्रैफिक की भी कमी आएगी। जुन्गा से कोई भी सरकारी बस सोलन को नही है यदि नया रूट सम्भव न हो तो ढली के**

उपर से आने वाली बस जो चण्डीगढ़ जाती हो उसे वाया जुन्गा किया जाए इस बस के आने जाने से कई पंचायतों को लाभ होगा जैसे भठ्ठाकुफर, मल्याणा, महैली, ढमेची, जुन्गा, साधुपुल, क्यारट, कन्डाघाट अगर ये कार्य पूरा हो पाये तो कृपा होगी।

(श्री शमशेर सिंह ,गांव व डा0 जुन्गा ,तह0 जुन्गा ,जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान परिवहन निगम द्वारा सूचित किया गया कि उक्त रूट में बस सेवा शुरू कर दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

95 **जिला बिलासपुर में घुमारवी के मोरसिन्धी वाया दाडी–दाबला सड़क किनारे घनी आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र है। इस सड़क पर समय–समय में निजी व एच0आर0टी0सी0 बसों का आना–जाना ग्रामीण जनसंख्या अनुसार कम है । अतः नीचे लिखें समय पर जैसे पहले बस सर्विस चलती थी उसी प्रकार सभी बस रूट चलाए व बहाल किए जाएं इसके अलावा भौर, जाहु, सरकाघाट, लदलोर, बिलासपुर, शिमला की तरफ आने –जाने वाली कुछ बस सर्विस भी इस सड़क पर चलाई जानी चाहिए ।**

1. **घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी – दाबला =10.15 बजे सुबह**
2. **घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी – दाबला =12.15 बजे दोपहर**
3. **घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी – दाबला =14.00 बजे दोपहर**
4. **घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी – दाबला =19.00 बजे दोपहर**
5. **मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी– दाबला = 07.00 बजे दोपहर**
6. **मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी– दाबला = 10.45 बजे दोपहर**
7. **मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी– दाबला = 12.45 बजे दोपहर**
8. **मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी– दाबला = 14.45 बजे दोपहर**

यदि उपर लिखे समय अनुसार एच0आर0टी0सी0/निजी बसों के रूट आबंटित हो तो उनसे बसें चलवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए । सुबह घुमारवीं से मोरसिंधी वाया दाडी–दाबला एक निजी बस 08:30/08:35 बजे चलती है उसके बाद 08:45 बजे एच0आर0टी0सी0 की बस चलती है इन दोनों बसों का आपस में कम्पीटिशन लगता है। एक ही समय 5–10 मिनट के अन्तराल में दो बसों का इकठ्ठा चलना दुर्घटना का कारण बन सकता है तथा दोनो बसों का अलग–अलग समय पर चलने से जनता को लाभ भी नही है। इनमें से एक बस का घुमारवीं से चलने का समय 08:10 व 08:15 जनता को सुविधाजनक और सुरक्षित रहेगा।

(श्री कर्मदास शान्डिल ,गांव मरहोल तह0 घुमारवीं ,जिला बिलासपुर)

हि0प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि बसों के रूट में आवश्यक बदलाव कर दिया गया है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

96. **शिमला से सेधन तक सीधी बस लगाने बारे, जो शाम को 6:30 बजे शिमला से चलकर सेंधन से प्रातः 8:30 बजे चलकर सीधी शिमला चली जाये। माननीय मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री जी के आदेशों के बाद भी विभाग द्वारा कार्यवाही नही की गई।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

हि0प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि बस को आरम्भ कर दिया गया है। तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी सम्बन्धित सदस्य को कहा कि निगम से मिलकर रूट चैक कर लें। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

97. पांवटा साहिब से सतौन रूट पर शाम 6 बजे के बाद कोई भी बस नही है जिससे 6 बजे के बाद गांव वासियों को घर पंहुचने में दिक्कत आती है। निवेदन है कि इस रूट पर सरकारी या प्राईवेट बस चलाई जाये।

(श्री मति त्रिशला चौधरी, गांव मुगलांवाला, डा0 राजवन तह0 पांवटा साहिब)

हि0प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि पावटा साहिब से सतौन रूट पर 6 बजे बस चला दी गई। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

98 शिमला से खद्दर गांव के लिए बस लगाई जाये। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नौकड़ापुल से खद्दर के लिए बस का उद्‌घाटन किया गया परन्तु अभी तक शिमला से खद्दर बस सेवा शुरू नही हुई है ।

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

हि0प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि चौपाल से खद्‌दर के लिए बस सेवा चला दी गई है। परन्तु बसों की कमी के कारण शिमला से खद्‌दर के लिए बस सेवा नही चलाई गई। नई बसे आने पर इस रूट पर बस चला दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें

99 बलधाड़ पंचायत में सबसे ज्यादा OBC परिवार है तथा यह इलाका कठिन है इसमें 7 वार्ड है 2 अन्य वार्ड का होना जरूरी है ठप्पर वार्ड से आनन्द घाट व प्राहु से कबरेटा बना दिये जार्ये।

(श्री प्रकाश चन्द कपिल,गांव ठप्पर,तह0 झण्डूता,जिला बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि चुनाव समाप्त हो चुके है अब 5 वर्ष बाद ही Delimitation हो सकेगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

100 ग्राम पंचायत महल में जहां बी0जे0पी0 के प्रधान है व मतभेद से कार्य करते हैं उनके ऊपर जांच कमेटी गठित होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मनरेगा जल संग्राहलय टैंक कार्य जिसकी लम्बाई व चौड़ाई 12 बाई 12 फुट तथा साढ़े 10 फुट गहरा है मुझे 60 बोरी सिमेन्ट दिया गया उन्होंने जिन गाड़ी वालों को टैंडर दिए है उन के व्यक्तियों से नगद पैंसे लेते है। इसकी उचित कार्यवाही होनी चाहिए।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेारज,जिला हमीरपुर)

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार पंचायती राज एक्ट के प्रावधानुसार मनरेगा के अर्न्तत स्वीकृत कार्यो को करवाने के लिए सामग्री क्रय करने हेतु विक्रेताओं से निविदाएं लेकर नियमानुसार

सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जाती है तथा रिर्पोट/एफ0आई0आर0 सीधी Individual के नाम पर की जाती है। अतः उपायुक्त हमीरपुर को भी छानबीन करने के निर्देश दिए गए। **तत्पश्चात मद को समाप्त कर दिया गया।**

101 ग्राम पंचायत महल की उच्च स्तरीय जांच हो उन्होंने पार्टी के लोग आई0आर0डी0पी0 में डाले है उदाहरण के तौर पर पवन कुमार गांव मयाद संजय कुमार पुत्र प्रकाश मैहल इस प्रकार बहुत से लोग है वह कार्यवाही पर पता चल सकेगा।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भोंरज,जिला हमीरपुर)

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सभी पंचायतों में बी0पी0एल0 में लाभार्थियों का चयन नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा ही सर्वसम्मति से किया जाता है क्योंकि पात्र व्यक्तियों के चयनार्थ ग्राम सभा ही सक्षम है। माननीय सदस्य द्वारा पवन कुमार गांव भ्याड़ संजय कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द महल तथा इस तरह के अन्य व्यक्ति जो कि पार्टी के लोग है बी0पी0एल0 में डाले गए है इस बारे में अवगत करवाया गया कि पार्टी के आधार मानकर लाभार्थियों का बी0पी0एल0 में चयन नही किया जाता है। बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर को छानबीन करने के निर्देश दिए। **अतः मद समाप्त कर दी गई।**

102 ग्राम पंचायत महल के दुकानदार जिनके पास सरिया है उनकों परमीशन दे रखी है हमारे से नकद रूपये लिये तथा उनके अकाउन्ट में सीधा रूपये जायेगा तथा इससे रूपये लेने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बारे इन्हीं कि जिम्मेवारी होनी चाहिए इस पर कानून बनना चाहिए।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भोंरज,जिला हमीरपुर)

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार विकास कार्य को करवाने के लिए जितनी भी सामग्री क्रय की जाती है, विक्रताओं से निविदाऐं ली जाती है तथा अनुमोदित निविदा के आधार पर ही विक्रेताओं से सामग्री क्रय की जाती है। जिस विक्रेता से Material क्रय किया जाएगा, अदायगी सीधे तौर पर उसके बैंक खाते में ही डाली जाती है। बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर को छानबीन करने के निर्देश दिए। **अतः मद समाप्त कर दी गई।**

103 ग्राम पंचायत महल में जो गरीब परिवार के सदस्य है उनका नाम आई0 आर0 डी0 पी0 से काट दिया था जिनकी आय–व्यय ठीक है वह लेाग डाल दिये तथा सस्ते राशन में भी जिनके नाम काटे हैं (1) केसरी देवी पत्नी मस्त राम गाव–मैहल, (2) पवन कुमार गांव म्याड (3) संजय कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द गांव मैहल ओर भी अधिक है जिसकी सार्वजनिक जांच हो ताकि समाज को पता चल सके।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भोंरज,जिला हमीरपुर)

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार बी0पी0एल0 में लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम सभा ही सक्षम है। ग्राम सभा द्वारा सरकार द्वारा चिन्हित संख्या के अनुसार ही लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है तथा अन्य गरीब परिवारों का चयन प्रक्रिया भी ग्राम सभाओं के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है।

तथापि किसी प्रकार की आपति हेतू ऐसे परिवार जिनकी आय–व्यय अच्छी है, उनकी सूची सम्बन्धित पंचायत में दी जाए ताकि आय के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफोर्मा भरकर पात्रता/अपात्रता बारे चयन किया जा सके। बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त हमीरपुर को छानबीन करने के आदेश दिए गये तथा उसकी रिर्पोट भेजने बारे निर्देश दिए गए।

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

104 जिन लोगों के बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढतें हैं तथा सस्ता राशन लेते है उनका नाम आई0आर0डी0पी0 में न लिया जाये इस पर कानून बनाया जाये।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार कानून बनाने हेतू सरकार ही सक्षम है क्योंकि बी0पी0एल0 में डालने/काटने के लिए सरकार द्वारा ही पैमाने तय किये गए है।

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

105 जिन व्यक्तियों को आई0आर0डी0पी0 में दस साल या इसकें अधिक हो गये हो तो इनका नाम काट दिया जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके ।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार यह सूचना खण्ड स्तर/पंचायत स्तर पर उपलब्ध नही करवाई जा सकती है क्योंकि सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार ही पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से बी0पी0एल0 हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार द्वारा इस तरह की समय सीमा बी0पी0एल0 में पात्र बने रहने के लिए तथा उसके उपरान्त बी0पी0एल0 से नाम काटने हेतु directions आती है तो पंचायतों द्वारा अविलम्ब कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

106. जुन्गा पंचायत के खड़की गांव की 70 प्रतिशत आबादी ओ0बी0सी0 व अनुसूचित जाति की है जो कि सैगण नाले के साथ लगती है। बरसात में इस नाले के पानी का बहाव बढ़ जाता है इस कारण फसले भी खराब होती है और घरों को भी खतरा बड़ जाता है। 2015 की बरसात को एक घर में तीन फुट नाले का मलवा भर गया था। इस लिए प्रार्थना है कि इन घरों की हिफाजत के लिए करेट वायर लगाई जाये।

(श्री शमशेर सिंह ,गांव व डा0 जुन्गा ,तह0 जुन्गा ,जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत करवाया कि यह कार्य भू–संरक्षण का है। अध्यक्ष महोदय ने मामले में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एंव उपायुक्त को कार्रवाई करने के आदेश दिए।

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

107 अन्य पिछडा वर्ग बस्ती रेडली व बरारा एंव राईचा ग्राम पंचायत रेडली में पक्की गलियां एवं नालियां बनाई जाए ताकि उक्त बस्तियों को गंन्दगी से निजात दिलवाई जाऐ विकास खण्ड संगडाह को इस बारे लिखा जाये।

(श्री राम लाल शर्मा ,ग्राम व डा0 बोरली,रेडली,उप–मण्डल संगडाह,सिरमौर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा शैल्फ में कार्य करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को आदेश जारी कर दिए गए है। अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त सिरमौर को मामले में जांच करने के आदेश दिए तथा **मद को समाप्त कर दिया गया।**

108 मरनेगा के अन्तर्गत पक्के रास्तों की मुरम्मत करने बारे जैसेः– ग्राम धार–भुटुआ–शकराह सरमाणा के ग्रामों को मनरेगा के अन्तर्गत पक्के रास्ते बनाए गए है व टूट फूट चुके है मुरम्मत हेतु एक–दो लाख रूपऐ देने की कृपा करें।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त शिमला को उक्त कार्य को करने हेतु राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। **अतः मद को समाप्त को कर दिया गया।**

109. गांवो में पक्के रास्तों का बनानाः– जैसे ग्राम भरवाहग,फेरेट,कटियोग, टूल,जुण्डला, 16 मील से फरैट व भलोगड़ी इत्यादी ग्रामों में कच्चे रास्ते हैं और नाले खड्डो में तबदील हो चुके है, बनाने हेतु एक–दो लाख रूपऐ स्वीकृत करने की कृपा करे ।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त शिमला को उक्त कार्य को करने हेतु राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। **अतः मद को समाप्त को कर दिया गया।**

110 खड्डों पर पुल बनाना जैसेः– ग्राम चलहोग से ग्राम शैंच के बीच कनतीरा खड्ड पर ग्राम शैंच से शकराह नाले पर एक लाख तथा ग्राम सरमाणा नाले पर 2 लाख 50 हजार रूपऐ पुल बनाने हेतु स्वीकृत कर बच्चों को बरसात में स्कूल आने जाने में कठिनाई होती है।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त उपायुक्त शिमला को उक्त कार्य को करने हेतु राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। **अतः मद को समाप्त को कर दिया गया।**

111 शिव मन्दिर चौंरी धार के पैसों को दूसरी जगह खर्च करने बारे। पूर्व विधायक सोहन लाल द्वारा श्री शिव मन्दिर चौंरी धार हेतु मु0 49,000 रू. की राशि दी गई थी शकराह पंचायत द्वारा दूसरी जगह पर खर्च की गई है। जिस पर लोगों ने शिकायत की है। शिकायत पत्र विकास खण्ड अधिकारी मशोबरा को भेजा है जिसकी कापी जिला पंचायत अधिकारी शिमला को भी दी गई है। 6 माह तक कोई कार्यवाही न होने पर दोबारा जिला पंचायत अधिकारी शिमला को स्मरण पत्र देने को कहा गया फिर भी आज तक

कोई कार्यवाही नही की गई है। कृप्या इस पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया है कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को जांच करने के आदेश दिए गए है। अध्यक्ष महोदय द्वारा भी इसकी जांच करने हेतु निर्देश दिए गए।

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

112 उपमण्डल की माजरा पंचायत के माजरा गांव की नसराली बस्ती में हरिजन आबादी को आने जाने के रास्ते में एक चोआ पड़ता है और बरसात के दिनो में स्कूली बच्चों व आम लोगों को बरसाती चोआ पार करना खतरे से खाली नही रहता। यहां के लोग लम्बे अरसे से यहां पर पुलिया निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि हरिजन बस्ती को नसराली खड्ड पर पुलिया बनाकर दी जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया कि इस कार्य को मनरेगा के तहत कर लिया जाऐगा और सम्बन्धित उपायुक्त ने भी कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के तहत भी कार्य कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

113 उपमण्डल नालागढ़ की ग्राम पंचायत प्लासी कंला के बीच से बहती सरसा नदी पर गांव प्लासी कंला व सैणी माजरा के बीच झुला पुल बनाए जाने की मांग लम्बे अरसे से चली आ रही है। बरसात के दिनो मे सरसा नदी में बाढ़ आने के कारण 15–15 दिनो तक दोनों तरफ के लोगों का आपस मे संपर्क कटा रहता है। इसलिये यहां सरसा नदी पर झुला पुल शीघ्र अति शीघ्र निर्मित किया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचित किया है कि इस कार्य को लोक निर्माण विभाग को स्थानातरण कर दिया गया है तथा इस कार्य को लोक निर्माण विभाग करेगा।

(ग्रामीण विकास/लोक निर्माण विभाग)

114 नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत माजरा के बूटा प्लासी गांव के मुख्य रास्ते पर गुरूद्वारे के नजदीक एक पुलिया का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है ताकि गांव को ढांग–प्लासी लिंक रोड़ से सीधा जोड़ा जा सके। इसके लिये पी0डब्लयू0डी0 विभाग को आदेश दिये जायें। इसके अलावा गुरूद्वारे से लेकर बूटा प्लासी में दीदार सिहं के घर तक के खस्ता हालत संपर्क रास्ते को भी पक्का किया जाए। इस रास्ते की हालत बहुत खस्ता है और पूरे गांव में 100 फीसदी ओ0बी0सी0 जाति वर्ग की है।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया कि इन छोटे–2 कार्य को उपायुक्त के माध्यम से राशि उपलब्ध करवा कर कार्य को कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

115 पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान है। जबकि स्थानियों निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी प्रावधान नही है। अतः पंचायत राज संस्थाओं की तर्ज पर स्थानीय निकायो में वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान किया जाये।

(श्री ओम प्रकाश चौधरी (AAR) सुलतानपुर, कुल्लू)

बैठक में मद पर कोई भी निर्णय नही लिया गया। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें

116 पिछड़ा वर्ग का कोटा वार्ड पंच से लेकर M.L.A.स्तर तक निर्धारित होना चाहिए।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भोंरज,जिला हमीरपुर)

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सूचित किया गया कि यह एक नीतिगत मामला है जिसका निर्णय सरकार स्तर पर ही लिया जाना है। **अतः चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

117 सभी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में एस0सी0,एस0टी0,तथा ओ0बी0सी0 को दर्शाया जाये।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भोंरज,जिला हमीरपुर)

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप कार्मिक विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 04–10–1976 एंव पत्रों दिनांक 27–02–1988 तथा 19–06–2015 द्वारा राज्य तथा इसकी सेवाओं से सम्बन्धित मामलों में जाति एंव उप–जाति के सन्दर्भ को सभी सेवा अभिलेखों से हटाने बारे अनुदेश जारी किए गए है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठता सूची जारी करने बारे दिनांक 20–04–2011 के अनुदेशों में वरिष्ठता सूची के प्रपत्र बारे कोई निश्चित दिशा–निर्देश नही है अपितु इन अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता सूची में कर्मचारी से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं जैसे कि कार्यग्रहण तिथि, जन्मतिथि, योग्यता, भर्ती की पद्वति तथा स्थायीकरण की तिथि आदि का उल्लेख होना चाहिए। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

118 ओ0बी0सी0 श्रेणी के कर्मचारी जो द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति का प्रावधान किया जाए । क्या एस0सी0,एस0टी0के कर्मचारीयों के लिए पदोन्नति हेतु कोटा रखा गया है।

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/निर्देशों/संवैधानिक व्यवस्था का अनुसरण करती है तथा भारतीय

संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य किसी आरक्षित वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नही है। अतः इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई संभव होगी। वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी–II से श्रेणी–IV के पदों में जहां पर सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से कम हो, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कमशः 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जो कि श्रेणी –II से श्रेणी–III से श्रेणी–I में केवल प्रथम पदोन्नति (up to lowest rung of class-I) के समय भी देय है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

119 ओ00बी0सी0 के आरक्षण का कोटा 27 प्रतिशत किया जाए, क्योंकि जब ओ0बी0सी0 का कोटा 18 प्रतिशत था तब इसमें बहुत कम जातियां थी, अब इस श्रेणी में जाट सैनी इत्यादी जातियां शामिल की गई है लेकिन इसकी प्रतिशतता में कोई भी वृद्वि नही की गई है। कृप्या इसका कोटा 18 प्रतिशत से 27 प्रतिशत किया जाए ।

(श्री गोबिन्द राम नायक, ग्राम व डा0 ट्रोह,तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान कार्मिक विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मामले में परीक्षण करने हेतु विभाग को निर्देश दिए गए।

(कार्मिक विभाग)

120 अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय में अन्य जातियों के सम्मिलित होने के कारण इस समुदाय की जनसंख्या में वृद्वि हुई है जबकि इस समुदाय के लोगों को अभी भी 18 प्रतिशत व 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अतः इसे बढ़ाने बारे सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

(श्री के0सी0 सैनी ग्राम रामपुर तहसील व जिला ऊना)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के परिदृश्य में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में श्रेणी–I व श्रेणी–II में 12 प्रतिशत तथा श्रेणी–III व श्रेणी–IV में 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। अतः इस वर्ग को वर्तमान में प्रदान किए जा रहे आरक्षण में परिवर्तन आयोग से अनुवर्ती सिफारिशें प्राप्त होने पर ही विचारा जाना संभव होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मामले में परीक्षण करने हेतु विभाग को निर्देश दिए गए।

(कार्मिक विभाग)

महा प्रबन्धक सैन्ट्रल कांगड़ा बैंक से सम्बन्धित मदें

121 सरकार के माध्यम द्वारा कांगडा बैंक खोलने बारे हमने प्रयास किया है। उसका सर्वे हो गया है। सरकार से निवेदन है कि शाखा खोलने बारे कार्यवाही की जाये।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

प्रबन्धक कांगड़ा सैन्ट्रल कोअपरेटिव बैंक से प्राप्त सूचना अनुसार सूचित किया गया है कि माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा बैंक खोलने बारे सही स्थान नही दर्शाया गया है जहां बैंक शाखा खोली जानी है। माननीय सदस्य द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि कांगड़ा सैन्ट्रल कोअपरेटिव बैंक की शाखा महल में खोली जानी है जिस बारे लिखकर पुनः उक्त बैंक को दे दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त हमीरपुर से सम्बन्धित मदें

122 गांव मैहल में सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है इसके बारे कार्यवाही हो उदाहरण के तौर पर नारायण सिहं के घर से हरिजन बस्ती को रास्ता जाता है।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

उपायुक्त हमीरपुर से प्राप्त सूचना अनुसार गांव मैहल में सरकारी भूमि पर कब्जा बारे रिर्पोट उप–मण्डलाधिकारी (ना0) भोरंज के अनुसार मौका पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नही किया गया है, जिसकी छानबीन क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा श्री जगदीश चन्द, गांव व डा0 मैहल तहसील भोरंज जिला हमीरपुर की उपस्थिति में की गई थी। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य द्वारा आग्रह किया गया कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेजकर पुनः जांच की जाए।

(उपायुक्त हमीरपुर)

123 मेरी मलकियती भूमि को अधिक बरसात होने के कारण कुनहाखड्ड से नुकसान हुआ है मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार द्वारा डंगा लगवाया जाये।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

उपायुक्त हमीरपुर से प्राप्त सूचना अनुसारः–No such scheme where funds can be provided to individual. This is not a community benefit scheme. However, the member concerned is to be advised to get his scheme included in MGNREGs land development self.

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

124 विकास खण्ड बिझड़ी की ग्राम पंचायत धंनोटा गांव खारल में 95 प्रतिशत एस0सी0 व ओ0बी0सी0 की जनसंख्या है, उसमें कोई भी सड़क,स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र व शमशानघाट नही हैं। अतः शमशानघाट के लिये 2,00,000/ रू. की आवश्यकता है। इस गांव में 40–45 घर है।

(श्री सुरजीत सिंह ,गांव खारल,डा0 धंनोटा,तह0बड़सर, जिला हमीरपुर)

उपायुक्त हमीरपुर से प्राप्त सूचना अनुसार शमशानघाट के लिए 1.00 (एक लाख) रूपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

125 बड़सर क्षेत्र में शुक खडड् में 5–6 केशर लगें है, जिससे अत्यधिक खनन हो रहा है व आस–पास के गांव की सिंचाई भूमि व पर्यावरण प्रभावित हो रहा है।

(श्री सुरजीत सिंह,गांव खारल,डा0 धंनोटा,तह0बड़सर, जिला हमीरपुर)

उपायुक्त हमीरपुर द्वारा सूचित किया गया किः–No illegal activity found as reported by Mining Officer, 3 stone crushers are running on their respective Mining leases, 3 others are not running at present. Challans are being done by Mining Offcer in Shukkar Khad Area. Hon'ble Chairman directed to ADC Hamirpur to look into the matter.

अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

126 जिला हमीरपुर में अवारा पशुओं और बन्दरों से किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है । इसका कोई उपाय किया जाये।

(श्री सुरजीत सिंह,गांव खारल,डा0 धंनोटा,तह0 बडसर, जिला हमीरपुर)

उपायुक्त हमीरपुर द्वारा सूचित किया गया किः–

As per reported by the DFO Hamirpur sterilization compaign for monkeys is being carried out at Hamirpur. Gausadans in each panchayat is to be constructed as per the orders of Hon'ble High Court.

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

वित्त विभाग से सम्बन्धित मदें

127 निवेदन है कि पैन्शनर्ज प्रकोष्ठ का सदस्य नियुक्त होना चाहिए क्योंकि विकास खण्ड भोंरज का प्रधान होने नाते यही मेरे सुझाव हैं।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त विभाग को मामले में परीक्षण कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा **मद को समाप्त कर दिया गया।**

कृषि विभाग से सम्बन्धित मदें

128 कृषि विभाग में एस0सी0, एस0टी0 के किसानों के लिए अनुदान हेतु बजट का प्रावधान होता है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले किसानों के लिए सबसिडी का कोई भी प्रावधान नहीं है। ओ0बी0सी0 के किसानों के लिए भी औजार दवाईयों, बीज पर सबसिडी अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के किसानों की तरह ही किया जाये।

श्री गोबिन्द राम नायक,ग्राम व डा0 ट्रोह,तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

कृषि विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि ओ0बी0सी0 के लिए अलग से बजट का कोई भी प्रावधान नही है परन्तु General Plan से इसे करने का प्रयास किया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त बिलासपुर से सम्बन्धित मदें

129. **जिला बिलासपुर तहसील घुमारवीं, गांव व डा0 बरोटा में नरेश कुमार उर्फ छोटू नाम का एक व्यक्ति है यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके एक लड़का तथा एक लड़की है। उसका लड़का थेलेसिमिया नाम का अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है। यह पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ में उपचाराधीन है। नरेश कुमार के पास आय का कोई साधन नही है। अपने पुत्र दीपक कुमार के उपचार के लिये उसकी माँ को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः सरकार से अनुरोध कि दीपक कुमार के इलाज के लिये आर्थिक सहायता दी जाये।**

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

उपायुक्त बिलासपुर से प्राप्त सूचना अनुसार प्रार्थी को जिला रैडक्रास सोसाईटी से मु0 5,000/–रू0 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उप–मण्डाधिकारी (ना0) घुमारवीं को भी प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बारे पूर्ण छानबीन करके रिर्पोट भेजने हेतु लिखा गया है। जैसे ही रिर्पोट प्राप्त होगी सरकार को भेज दी जाएगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

130 **बिलासपुर जिला की पंचायत बरोटा के अन्तर्गत वार्ड न0 4, में एक शमशान घाट निर्मित है। इस घाट तक का रास्ता ऊबड–खाबड़ है। सरकार से अनुरोध है कि इस रास्ते को पक्का करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए।**

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

उपायुक्त बिलासपुर से प्राप्त सूचना अनुसार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 के मनरेगा शैल्फ में डालकर अनुमोदित करवा दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें

131 **देखने में आया है कि सामाजिक सुरक्षा पैन्शन पात्र व्यक्ति को जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से समय पर भेज दी जाती है परन्तु अमुक व्यक्ति को पैन्शन 4–5 महीने के बाद मिलती है। उस व्यक्ति को कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते है। कल्याण अधिकारी के कार्यालय से पैन्शन जारी किये जाने के बाद पैन्शन धारक को अवश्य सूचित किया जाए ताकि वो समय पर अपनी पैन्शन का पता कर सके तथा उसे प्राप्त कर सके।**

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पैंशन का वितरण डाक विभाग के माध्यम से मनीआर्डर द्वारा पैंशनरों के घर–द्वार पर त्रैमासिक तौर पर किया जा रहा है। मनीआर्डर से पैंशन भेजने की प्रक्रिया में कुछ समय लग

जाता है परन्तु पैंशन का भुगतान पैंशनरों के घर–द्वार पर किया जाता है तथा मनीआर्डर के साथ पावती संलग्न होती है जो विभाग को डाक विभाग के माध्यम से वापिस प्राप्त होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सम्बन्धित पैंशनर को पैंशन प्राप्त हो गई है। अतः पैंशनर को अपनी पैंशन का पता करने हेतु कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

132 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के बच्चों को ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष तक सीमित है, सरकार से अनुरोध है कि इसे कम से कम दो वर्ष किया जाए।

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

133 सरकार से अनुरोध है कि ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैधता पांच वर्ष किया जाये।

(श्री अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी कांगड़ा)

सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की अवधि सरकार द्वारा एक वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग में Creamy layer के निर्धारण हेतु आय सीमा 7 अगस्त, 2013 को 4.50 लाख रू0 वार्षिक से बढ़ा कर 6.00 लाख रूपये वार्षिक कर दी गई है। इसके बावजूद अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने बैठक में चर्चा उपरान्त कहा कि माननीय सदस्यों के सुझावों का परीक्षण करके इसके अधिकार को सरलीकरण किया जाऐगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मदों को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त ऊना से सम्बन्धित मदें

134 गांव में एक सार्वजनिक शौचालय के लिये भी धन उपलब्ध करवाया जाये। सभी ग्रामीण इन सभी सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि अनुदान देने को भी तैयार हैं।

(डा0 शेर सिंह ,गांव व डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

उपायुक्त ऊना से प्राप्त सूचना अनुसार परियोजना अधिकारी डी0आर0डी0ए0 ऊना द्वारा ग्राम पंचायत डोहगी को सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाई गई है व उक्त सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

135. प्रदेश में ओ0बी0सी0 बस्तियों में बसे ग्रामीण लोगों को शौचालय बनाने के लिये शत प्रतिशत अनुदान दिया जाये।

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

उपायुक्त ऊना द्वारा सूचित किया कि परियोजना अधिकारी डी0आर0डी0ए0 ऊना से प्राप्त सूचना अनुसार जिला में किए गए बेसलाइन सर्वे वर्ष 2012 के अनुसार कुल 21271 परिवारों के पास शौचालय नही थे, जिसमें से 2722 परिवार जो बड़े किसान व अमीर परिवार के वर्ग में आते हैं को सरकारी सहायता/राशि नहीं दी जानी थी। बाकि बचे 18549 परिवारों को सरकारी सहायता/अनुदान के तौर पर दी जानी थी, उसमें से विकास खण्ड बंगाणा, अम्ब तथा गगरेट के सभी लाभार्थी परिवारों को राशि भेजी जा चुकी है तथा विकास खण्ड ऊना के 1726 परिवार व विकास खण्ड हरोली के 295 परिवारों की राशि

वितरित की जा रही है क्योंकि यह राशि राज्य सरकार से अभी प्राप्त हुई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार 2 अक्तूबर 2014 के बाद बनाए गए शौचचालयों के लिए 12000/–की अनुदान राशि का प्रावधान है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

136 **चिन्तपूर्णी बस स्टैण्ड पर टैक्सी स्टैण्ड के बारे अनुरोध किया था पर परन्तु कोई भी कार्यवाही एक वर्ष से नही हुई है।**

(श्री शिवपाल सिंह महंत ,ग्राम स्वाना, तह0 जसवां ,जिला कांगड़ा)

उपायुक्त ऊना द्वारा सूचित किया गया कि उप–मण्डाधिकारी (ना0) अम्ब से प्राप्त सूचना अनुसार चिन्तपूर्णी बस स्टैण्ड जिला कांगड़ा के क्षेत्र में पड़ता है। क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम देहरा से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर पाया गया कि चिन्तपूर्णी बस स्टैण्ड की भूमि बी0ओ0टी0 के आधार पर लीज पर दे दी गई है तथा बस स्टैण्ड व टैक्सी स्टैण्ड निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

137 **ग्राम पंचायत रामपुर वार्ड न0 7 तहसील व जिला ऊना में पक्का नाला के निर्माण हेतु 3,00,000 लाख रूपये की धन राशि उपलब्ध करवाई जाये। वार्ड न0 7 में ओ0बी0सी0 समुदाय की संख्या अधिक है।**

(डा0 के0सी0 सैनी ग्राम रामपुर तहसील व जिला ऊना)

उपायुक्त ऊना द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना अधिकारी डी0आर0डी0ए0 ऊना से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायत रामपुर वार्ड न0 7 तहसील व जिला ऊना पक्का नाला के निर्माण के लिए वर्ष 2017–18 के मनरेगा शैल्फ तैसार करने हेतू खण्ड विकास अधिकारी ऊना को लिख दिया गया है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

हिम ऊर्जा से सम्बन्धित मदें

138 **प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों के साथ–साथ प्रदेश की ओ0बी0सी0 आबादी वाले गांवो में भी सौर लाईटों का प्रबन्ध किया जाये।**

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सरकार द्वारा हिमऊर्जा को केवल अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में 100 प्रतिशत उपदान पर नियमानुसार सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत बजट का प्रावधान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक मामले विभाग के माध्यम से किया जाता है। अन्य किसी भी वर्ग की आबादी के लिए निशुल्क सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने हेतु धन का कोई भी प्रावधान नही है। यदि सरकार द्वारा हिमऊर्जा को बजट/धन उपलब्ध करवाता है तो अन्य पिछड़ा वर्ग आबादी वाले गांवों के लिए भी मांग अनुसार सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाई जा सकती है।

हिमऊर्जा द्वारा पूर्ण मूल्य पर भी सोलर स्ट्रीट लाईट उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में दो प्रकार की सोलर स्ट्रीट लाईटें उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें (1) सी.एफ.एल. टाईप की लाईट का मूल्य 18365/–रूपये प्रत्येक तथा (2) एल.ई.डी. टाईप की लाईट का मूल्य 15530/– रूपये प्रत्येक है।

बैठक में चर्चा उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा कहा गया कि मामले में परीक्षण करके अन्य वर्ग के लिए भी सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने का प्रावधान किया जाएेगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

139 दरीणी गांव की ओ0बी0सी0 बस्ती के लिए 5 सोलर लाईट लगवाने की कृपा करे।

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी, कांगड़ा)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सरकार द्वारा हिमऊर्जा को केवल अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में 100 प्रतिशत उपदान पर नियमानुसार सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत बजट का प्रावधान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक मामले विभाग के माध्यम से किया जाता है। अन्य किसी भी वर्ग की आबादी के लिए निशुल्क सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने हेतु धन का कोई भी प्रावधान नही है। यदि सरकार द्वारा हिमऊर्जा को बजट/धन उपलब्ध करवाता है तो दरीणी गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग आबादी के लिए भी मांग अनुसार सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाई जा सकती है।

हिमऊर्जा द्वारा पूर्ण मूल्य पर भी सोलर स्ट्रीट लाईट उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में दो प्रकार की सोलर स्ट्रीट लाईटें उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें (1) सी.एफ.एल. टाईप की लाईट का मूल्य 18365/–रूपये प्रत्येक तथा (2) एल.ई.डी. टाईप की लाईट का मूल्य 15530/– रूपये प्रत्येक है।

बैठक में चर्चा उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा द्वारा कहा गया कि मामले में परीक्षण करके अन्य वर्ग के लिए भी सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने का प्रावधान किया जाएेगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम कांगड़ा से सम्बन्धित मदें

140 छोटे रूटो पर वाहन चलाने के लिये ओ0बी0सी0 वर्ग के लोगों को विशेष वरियता देकर अनुदान दिया जाये ।

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम कांगड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार निगम द्वारा पात्र लाभार्थियों को वाहन खरीदने हेतु ऋण दिया जाता है, जो 5.00 लाख रूपये तक 6 प्रतिशत व 10.00 लाख रूपये तक 8 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाता है। यह भी अवगत करवाया गया है कि जहां तक अनुदान का प्रश्न है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निगम को आदेश दिए कि मामले का परीक्षण करके रिर्पोट सरकार को भेजे। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

वन विभाग से सम्बन्धित मदें

141 ओ0बी0सी0 व एस0सी0 बस्ती के नजदीक एक खाली मैदान है जिसमें जंगलात महकमें का एक विश्राम गृह बनाया जाए ताकि पर्यटकों को ठहरने की सुविधा मिल सके ।

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि0प्र0 से प्राप्त सूचना अनुसार अरण्यपाल मण्डी द्वारा सूचित किया है कि ओ0बी0सी0 व एस0सी0 बस्ती के नज़दीक जिस मैदान में वन विभाग का विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव रखा है वह जमीन शिक्षा, कृषि व पशुपालन विभाग की है। यह भी सूचित किया है कि सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के बगैर नए विश्राम गृहों का निर्माण नही किया जा सकता। उक्त स्थान से लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी पर छतरी नामक स्थान पर लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह बना हुआ है। जबकि सरकार के दिशा–निर्देशानुसार 20 कि0मी0 के अन्तर्गत विश्राम गृह का निर्माण नही किया जा सकता। अतः एक और विश्राम गृह बनाना तर्कसंगत नही है। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

142 डन्गा निर्माण निसराली गांव–माजरा नजदीक मियां के घर, राजपूत बस्ती, ग्राम पंचायत माजरा में निवेदन है कि ग्राम पंचायत माजरा के गांव माजरा में निसराली नदी पड़ती है तथा वर्षा के दिनों में नदी में पानी की अधिक मात्र बढ़ जाती है तथा उपरोक्त बस्ती के लोगों की गत कई वर्षो से मांग है की नदी के साथ–साथ डंगें का निर्माण किया जाये ताकि भविष्य में आने वाली समस्या न हो सके ।अतः सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत करके आने वाली समस्या का समाधान हो सके ।

(श्री हरपाल सिंह,गांव ढांग उपरली,डा0 प्लासी कलां,तह0 नालागढ,जिला सोलन)

प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि0प्र0 से प्राप्त सूचना अनुसार अरण्यपाल बिलासपुर द्वारा सूचित किया है कि सम्बन्धित क्षेत्र शामलात भूमि के अन्तर्गत पड़ता है। डन्गे के निर्माण हेतू निसराली खड्ड के दोनों तरफ डन्गें व Water Harvesting Structure के निर्माण हेतू अनुमानित व्यय लगभग 20 लाख रूपये है, क्योंकि उक्त क्षेत्र शामलात भूमि में पड़ता है। अतः वन विभाग द्वारा उक्त कार्य नही करवाया जा सकता।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त सोलन को उक्त कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने बारे आदेश दिए।

(वन विभाग/उपायुक्त सोलन)

उपायुक्त मण्डी से सम्बन्धित मदें

143 ग्राम पंचायत गोडा गागल, मण्डी मे गांव सिंहन में एस0 सी0, ओ0बी0सी0 के लोगों की 95 प्रतिशत आबादी है इस गांव में सिवरेज सिस्टम का प्रावधान किया जाये।

(श्री कन्हैया लाल ,ग्राम सिंहन पी0ओ0 गागल, तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

उपायुक्त मण्डी द्वारा बैठक में चर्चा के दौरान सूचित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस कार्य को कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

144 ग्राम पंचायत दोघी व ग्राम पंचायत गोडा गागल दोनों पंचायतों में एस0सी0 और ओ0बी0सी0 की आबादी 90 प्रतिशत है यहां सरकार ने 2008 में सुकेर खड्‌ड पर दोनों पंचायतों को पुल द्वारा जोड़ने का प्रावधान एस0सी0 कम्पोनेन्ट प्लान से किया था। आज तक कार्य पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

(श्री कन्हैया लाल ,ग्राम सिंहन पी0ओ0 गागल, तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग को उक्त कार्य करवाने हेतु आदेश दिए।

(उपायुक्त मण्डी/निदेशालय अनु0जाति, अन्य पि0 वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले)

उपायुक्त शिमला से सम्बन्धित मदें

145 जुन्गा बाजार में एक बहुत पुरानी इमारत है जिस की हिमाचल सरकार मालिक है जिसे पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने अनसेफ करार दिया है और इस में रहता भी कोई नही हैं। इस के गिरने से जानी नुकसान भी हो सकता है इस इमारत का मसला जुन्गा पंचायत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी लाया गया हैं यदि इमारत को तोड़ा जाता है तो इससे लोगों को कई फाइदे है। 1. जुन्गाा में बस स्टेन्ड की सुविधा 2. टैक्सी स्टेण्ड की सुविधा जिस से पंचायत की आय भी बनेगी ।

(श्री शमशेर सिंह ,गांव व डा0 जुन्गा ,तह0 जुन्गा ,जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त शिमला द्वारा सूचित किया गया कि उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही कर दी जाएेगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

146 गत वर्ष की मद संख्या 6 पर सतसंग भवन ग्राम पचांयत काली हट्‌टी तक शेष बचे 200 मीटर सड़क का कार्य पूर्ण करने हेतु धन राशि उपलब्ध करवाने बारे लिखा था परन्तु उस पर कोई कार्य नहीं की गई

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त शिमला द्वारा सूचित किया कि उक्त कार्य को कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

147 शिमला मण्डी रोड़ पर ''डम्प के पास'' प्राईवेट जगह में पीने के पानी के चश्मे के ऊपर प्राईवैट जगह में मलवा फैंकने पर ग्राम शकराह जो दलित वर्ग का ग्राम है जिनके पीने के पानी को नुकसान पहुंच रहा है पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त शिमला द्वारा सूचित किया कि उक्त समस्या का समाधान कर दिया गया है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त कांगड़ा से सम्बन्धित मदें

148 शीतला मन्दिर से चनौर रोड़ का टीका काहरू में सड़क का एक डंगा 10 वर्षों से गिरा हुआ है टर्निग पॉइंट है, इस रोड़ पर बहुत यातायात की आवाजाही है और कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती हैं कृप्या स्पैशल बजट देकर इसका निर्माण किया जाये तथा इस रोड़ पर पैच लगवाने के आदेश दिया जाये ।

(श्री शिवपाल सिंह महंत ,ग्राम स्वाना, तह0 जसवा ,जिला कांगड़ा)

उपायुक्त कांगड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार जिला योजना अधिकारी ने सूचित किया कि यह मद अधिशासी अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग देहरा से सम्बन्धित है। जिसके सन्दर्भ में अधिशासी मण्डल हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग देहरा द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त सड़क के कि0मी0 9/295 से 9/310 तक का भाग भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, जिस पर 15 मीटर लम्बाई में और 9.50 मीटर ऊंचाई का ढंगा (रिटैनिंग वाल) लगाया जाना अनिवार्य है, जिस पर लगभग 7.55 लाख का खर्च आने का अनुमान है। डंगे का निर्माण धन उपलब्धता अनुसार किया जाऐगा व उपरोक्त सड़क पर पैच का कार्य धन उपलब्धतानुसार कुछ भाग में कर दिया है और शेष कार्य मौसम अनुकूल होने पर धन उपलब्धता अनुसार किया जायेगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

149 ओ0बी0सी0 भवन के निर्माण हेतु कथोली व नगरोटा सूरियां पंचाम में जगह उपलब्ध है। कृप्या हमें इस भवन के लिए लगभग 10 लाख रूपये अनुदान दिया जाऐ ताकि इस भवन के बनने से चार या पांच पंचायतों को लाभ मिल सके। पिछली बार इस जगह का पर्चा ततीमा व अनुमानित राशि का बिल भी सभी दस्तावेज संलग्न किए थे।

(श्री राजकुमार शहरिया,ग्राम पंचायत कथोली, नगरोटा, जिला कांगड़ा)

उपायुक्त कांगड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार जिला योजना अधिकारी ने सूचित किया कि ओ0बी0सी0 भवन कथोली का प्राक्कलन मु0 8.31 लाख रूपये खण्ड विकास अधिकारी नगरोटा सूरियां द्वारा दिनांक12–01–2017 द्वारा इस कार्यालय को भेजा है। उपरोक्त कार्य की प्रस्तावना के साथ राजस्व दसतावेजों अनुसार निर्माण किया जाना है। यदि माननीय सदस्य व सम्बन्धित ग्राम पंचायत कथोली चाहे तो इस कार्य को लोगों के सामुदायिक अंशदान के कार्यक्रम विकास में जन सहयोग के अन्तर्गत जमा करवाकर निर्मित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रर्याप्त बजट उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य ओ0बी0सी0 भवन नगरोटा सूरियां के सन्दर्भ में खण्ड विकास अधिकारी नगरोटा सूरियां ने अपने उक्त पत्र द्वारा यह रिर्पोट भेजी है कि जिस भूमि पर इसका निर्माण किया जाना है के सन्दर्भ में राजस्व/भूमि दस्तावेज सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगरोटा सूरियां से मंगवाये गए है जो कि अभी अपेक्षित है। सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

150. दो वर्ष पहले दरीणी के लिए एक ओ0बी0सी0 भवन स्वीकृत किया गया था जिसके लिए भूमि की रजिस्ट्री भी हो चुकी है परन्तु अभी तक राशि जारी नही हुई है।

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी, कांगड़ा)

उपायुक्त कांगड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण हेतु पंचायत द्वारा भूमि विभाग के नाम करवा दी गई है और भवन के निर्माण हेतु मु0 8,55,000/—रूपये की राशि हेतु प्राक्कलन तैयार करके खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड रैत ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या डी.बी.आर दिनांक 01—01—2015 द्वारा प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग हि0प्र0 सरकार को भेज दिया है। चर्चा उपरान्त बैठक में उपायुक्त द्वारा कहा गया कि उक्त कार्य को कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

151. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दरीणी के नाम साथ लगती भूमि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए स्थानान्तरित करने के लिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नही की गई है।

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी कांगड़ा)

उपायुक्त कांगड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार जिला राजस्व अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने अवगत करवाया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरिणी के साथ लगती भूमि जो कि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु चयनित की गई है, जिसके राजस्व कागजात दो परता तैयार करके प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दरिणी को भेज दिए गए है। उसके उपरान्त सम्बन्धित विभाग ने उक्त राजस्व कागजात वन विभाग को प्रेषित किये गए है। जिस बारे वन विभाग के क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 3.12.2016 को किया गया, अभी तक सम्बन्धित विभाग से पुनः कोई भी आवेदन प्रस्तुत नही हुआ है। चर्चा उपरान्त बैठक में उपायुक्त द्वारा कहा गया कि कार्य को कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त कुल्लू से सम्बन्धित मदें

152 अप्पर सुल्तानपुर (कुल्लू) वार्ड न0 4 में उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर जाने वाले रास्ते के उत्थान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाए।

(श्री ओम प्रकाश चौधरी ,सुल्तानपुर ,कुल्लू)

उपायुक्त कुल्लू से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् कुल्लू ने सूचित किया है कि भारी बारिश से जो रास्ते क्षतिग्रस्त हुए है उनके पुनः निर्माण हेतु 4.00 चार लाख खर्चा आने का अनुमान है। नगर परिषद् कुल्लू से प्राक्कलन प्राप्त होते ही यह राशि प्राक्कलन अनुसार स्वीकृत कर दी जायेगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।**

153 अप्पर सुल्तानपुर (कुल्लू) वार्ड न0 4 मे कोई भी सुलभ शौचालय नही है जिससे यहां के स्थानीय दुकानदारों व निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

हालांकि इस वार्ड की आबादी बहुत अधिक है । अतः सुलभ शौचालय बनाने की कृपा करे ।

(श्री ओम प्रकाश चौधरी ,सुल्तानपुर ,कुल्लू)

उपायुक्त कुल्लू से प्राप्त सूचना अनुसार भूमि को स्थानान्तरण करने बारे FCA के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण दिनांक 06.01.2017 को किया गया है। यह भूमि शहरी विकास विभाग के नाम पर स्थानान्तरण होनी है उसके उपरान्त समुचित निधि का प्रावधान होने पर सुलभ शौचालय का निर्माण कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

154 **कब्रिस्तान से जो रास्ता सुल्तानपुर बाजार की ओर जाता है उसका ग्रेड ठीक किया जाए। ग्रेड ठीक न होने की वजह से काफी लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके है। बरसात के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस रास्ते पर गिरते है।**

(श्री ओम प्रकाश चौधरी ,सुल्तानपुर ,कुल्लू)

उपायुक्त कुल्लू से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् कुल्लू ने सूचित किया है कि उक्त कार्य के निर्माण हेतु 1.50 (एक लाख, पचास हजार) रूपये का खर्चा आने का अनुमान है। नगर परिषद् कुल्लू से प्राक्कलन प्राप्त होते ही यह राशि प्राक्कलन अनुसार स्वीकृत कर दी जायेगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।**

नगर नियोजन विभाग से सम्बन्धित मदें

155 **पांवटा साहिब कमेटी का ऐरिया (TCP) पांवटा साहिब से 12 किलोमीटर दूर तक बढ़ा दिया गया है जिसमें पांवटा साहिब कमेटी का ऐरिया लगभग 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है बाकि सब गांव का ऐरिया है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अतः पांवटा साहिब (TCP) का ऐरिया निहालगढ़ पंचायत तक किया जाए। जिससे किसान गांव के लिहाज से कन्सट्रक्शन कर सके।**

(श्रीमति त्रिशला चौधरी, गांव मुगलांवाला, डा0 राजवन तह0 पांवटा साहिब)

नगर एंव ग्राम योजना विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार पांवटा साहिब योजना क्षेत्र का गठन सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.05.1986 द्वारा किया गया था तदोपरान्त सरकार की अधिसूचना संख्याः–टी0सी0पी0–एफ(5)3/2000 दिनांक 31.7.2000 द्वारा इस योजना क्षेत्र के जो क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र से बाहर थे, को हिमाचल प्रदेश नगर एंव ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 66 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र के रूप में गठित किया गया है और इसमें अभी तक कोई भी अतिरिक्त क्षेत्र शामिल नहीं किए गए है। दिनांक 14.5.2015 को सरकार द्वारा धौलाकुंआ–माजरा योजना क्षेत्र का गठन किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग –72 के दोनों ओर 150 मीटर तक की सीमा में हिमाचल प्रदेश नगर एंव ग्राम योजना अधिनियम, 1977 लागू है।

पांवटा साहिब विशेष क्षेत्र में रिहायशी, वाणिज्य, औधोगिक आदि का निर्माण कार्य काफी अधिक चल रहा है और इस क्षेत्र में जमीन की खरीद भी काफी हो रही है। भविष्य में इस क्षेत्र में निर्माण कार्य योजनाबद्व तरीके से हो, इसलिए इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नगर एंव ग्राम योजना अधिनियम, 1977 लागू किया था। यह भी उल्लेख किया गया कि जिन–जिन योजना

क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए गए है, उनको हिमाचल प्रदेश नगर एंव ग्राम योजना नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार योजना स्वीकृति के लिए छूट प्रदान की है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर तीन मंजिला भवन का निर्माण बिना नक्शा पास किए कर सकता है। यह प्रावधान नियम, 2014 के Appendix-8 में रखा गया है। **बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को आदेश दिए कि मामले को 7 दिन के भीतर नस्ति पर सरकार को प्रस्तुत करे।**

(नगर एंव ग्राम योजना विभाग)

उपायुक्त सोलन से सम्बन्धित मदें

156 गांव ढांग–उपरली में श्री प्रेम सिहं के घर से पीपल के पेड़ तक नाले का निर्माण करवाने बारे निवेदन है कि गत बैठक के दौरान उपरोक्त कार्य हेतु मद स0 24 पर बैठक में चर्चा की गई थी तथा जिला उपायुक्त महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उपरोक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत कर कार्य का निर्माण अति शीघ्र करवाया जायेगा लेकिन उक्त कार्य का निर्माण आज दिनांक तक नही हो सका। अतः सरकार से निवेदन है की उक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत कर कार्य का निर्माण शीघ्र किया जाये।

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग ऊपरली,तह0 नालागढ,जिला सोलन)

उपायुक्त सोलन द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया कि उक्त कार्य को शीघ्र करवा दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

157 नालागढ़ की ग्रांम पचांयत ढांग निहली के ढाणा गांव में पूर्व प्रधान हेम सिहं के घर से लेकर केन्द्रूवाला ढाणा में गुरदेव सिहं मास्टर के घर तक का एक किलोमीटर लम्बा सम्पर्क मार्ग बिल्कुल कच्चा है और गंदे पानी की निकासी नही हो रही है। गांव में 100 फ़िसदी आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। अतः इस सम्पर्क मार्ग को सरकार BBNDA से पक्का करवांने की कृपा करें।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

उपायुक्त सोलन द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया कि उक्त कार्य को BBNDA से करवा दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

158 नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत मंझौली के झीड़ा गांव मे गंदे पानी की सही निकासी न होने के कारण फतिया खान के घर से लेकर बूटा खान के घर तक की गली व नाली की बहुत खस्ता हालत है। गली में जगह–2 पर पानी खड़ा रहता है। गांव में साफ सफाई का वातावरण पैदा करने के लिए 150 मीटर लंबी गली व नाली को BBNDA से राशि मुहैया करवाकर पक्का किया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

उपायुक्त सोलन द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया है कि उक्त कार्य को करवा दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

159 **नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत ढांग निहली के मुख्यालय पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढांग में स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण की भरमार है। शिक्षा विभाग के नाम स्कूल की करीब 18 बीघा 02 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो मौके पर 10 बीघा भी नजर नही आ रही है। मैने पंचायत प्रधान रहते हुए टीवीएस मोटर कम्पनी से स्कूल की चारदीवारी करवाई थी, लेकिन अभी तक स्कूल की काफी भूमि पर अवैध कब्जा है। राजस्व विभाग के रिकार्ड में छेड़छाड़ के चलते स्कूल की भूमि की पैमाइश हो पाना मुश्किल है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि स्कूल की 18 बीघा दो बिस्वा जमीन का पता लगाकर इसकी या तो नये सिरे से चार दिवारी करवाई जाये या फिर कंटीली तार लगाकर फैन्सिंग की जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

उपायुक्त सोलन द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया है कि उक्त कार्य को करवा दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

160 **नालागढ़ उपमण्डल की ढांग निहली पंचायत के टपरिया बास में मुख्य गली की खस्ता हालत है और ककंरीट से बनी यह गली पूरी तरह उखड़ गई है। टपरिया बास की 200 मीटर लंबी गलियों का इन्टरलॉक टायल लगाकर पक्का किया जाए, जिस पर करीब चार लाख रूपये खर्च होने की सम्भावना है टंपरिया बास में 100 फीसदी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

उपायुक्त सोलन द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया कि उक्त कार्य को BBNDA से करवा दिया जाएगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

ग्यारहवीं बैठक हेतू प्राप्त नई मदें:–

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें

1. **रती रंधाड़ा वाया ट्रोह, पिपली लोक निर्माण मण्डल मण्डी–2 में सड़क या सड़क की नालियों के बनने के बाद कितने अवैध भवनों के निर्माण हुए, इन अवैध भवनों के निर्माण को रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, पूर्ण विवरण दिया जाए।**

   (श्री गोविन्द राम नायक ग्राम व डा0–ट्रोह, जिला मण्डी)

लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया है कि उक्त मण्डल को जांच के निर्देश दिए जा चुके है। इसकी पहचान करके आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी। चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी विभाग को मामले में शीघ्र निपटाने के आदेश दिए।

(लोक निर्माण विभाग)

2. **सम्पर्क सड़क ग्राम बोरली के लिए अनुदान देने बारे मुख्य सड़क से इसकी लम्बाई 500 मीटर है व हार्डकटिंग है और भूमि मालिक सड़क के लिए भूमि गिफट करने को तैयार है इस सड़क के बनने से बोरली गांव की लगभग 300 की आबादी लाभान्वित होगी। लोक निर्माण मण्डल संगड़ाह से इस बारे प्राक्कलन मंगवाने बारे कार्यवाही अमल मे लाई जाए। इस सड़क में कोई भी फोरेस्ट ऐरिया व माईनिंग ऐरिया नही पड़ता है।**

   (श्री राम लाल शर्मा गांव व डा0 बोरली, संगड़ाह सिरमौर)

लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया है कि यदि स्थानीय लोग भूमि देते है तो उक्त कार्य को कर दिया जाऐगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी विभाग को मामले में शीघ्र निपटाने के आदेश दिए।

(लोक निर्माण विभाग)

3. **ग्राम पंचायत माजरा के गांव माजरा निस्राली नदी मेन सड़क पुली के पास दोनों तरफ डंगा लगवाने बारे।**

   (श्री हरपाल सिंह, गांव ढाग उपरली तह0 नालागढ)

लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया है कि उक्त कार्य को कर दिया जाऐगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले में शीघ्र निपटाने के आदेश दिए तथा **मद को समाप्त कर दिया गया।**

4. **नालागढ़ क्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता PWD नालागढ़ के द्वारा सरकारी पैसे का दुरूपयोग करने बारे व अपने नजदीकी ठेकेदारों को लाभ देने बारे।**

   (श्री हरपाल सिंह, गांव ढाग उपरली तह0 नालागढ़)

लोक निर्माण विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि मामले की छानबीन कर दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

5. **ग्राम पंचायत टोडसा के अनुसूचित जाति के गांव लिम्बड़ा को छोटी गाड़ी योग्य सम्पर्क मार्ग टोडसा से लिम्बडा 2 कि0मी0 बनाने हेतु धन राशि का प्रावधान करने बारे।**

(श्रीमती विद्या देवी, गांव लिम्बड़ा डा0 टोडसा, चढगांव)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त शिमला को उक्त कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने बारे आदेश दिए। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

6. **मैन रोड़ ग्राम लिम्बड़ा में वर्षा शालिका बनाने बारे, क्योंकि स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है इसलिए वहां वर्षा शालिका को बनाना अति–आवश्यक है।**

(श्रीमती विद्या देवी, गांव लिम्बड़ा डा0 टोडसा, चढगांव)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त शिमला को उक्त कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने बारे आदेश दिए। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित मदें

7. **ग्राम पंचायत भलथेहड़ व नेर विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 के पंचायत भवन बने हैं व जमीन भी उपलब्ध है। यह पंचायतें नगर परिषद नेरचौक में तबदील हो चुकी है। इन पंचायतों के भवन अब खाली पड़े है। इन खाली भवनों को व इनकी भूमि को सिविल अस्पताल रती को दे दिया जाए ताकि स्टाफ के क्वाटर बनाये जा सके। ग्राम पंचायत भलथेहड़ के नाम लगभग 0–15–0–बीघा भूमि रत्ती अस्पताल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है जिस भूमि पर वन विभाग का हट्ट होता था व भूमि थी खाली पड़ी है, इस भूमि पर अस्पताल भवन का निर्माण किया जा सकता है। माननीय मुख्यमन्त्री जी से निवेदन है कि भूमि को स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानान्तरण करने की आवश्यक मंजूरी प्रदान करने की कृपा करे।**

(श्री गोविन्द राम नायक ग्राम व डा0–ट्रोह, जिला मण्डी)

शहरी विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् नेरचौक ने सूचित किया है कि नेरचौक नवगठित परिषद् है। यहां आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है जिसके लिए Assets बनाये जाने है। जो पंचायतें नगर परिषद् में आई है उनके नाम की भूमि या भवन नगर परिषद् नेरचौक के नाम होने है। नगर परिषद् नेरचौक को उक्त भूमि व भवनों की आवश्यकता है। इसलिए जो ग्राम पंचायतें नगर परिषद्, नेरचौक में आई है उनके नाम की भूमि या भवन किसी अन्य विभाग को स्थानान्तरित न की जाऐ। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में चर्चा उपरान्त उपायुक्त मण्डी को आदेश दिए कि मामले का परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही अमल में लाए।

(शहरी विकास विभाग/उपायुक्त मण्डी)

आयुर्वेदा विभाग से सम्बन्धित मदें

8. **आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी, मुन्दडू (ट्रोह) तहसील बल्ह जिला मण्डी की जमीन का कटान किसने करवाया जिस कारण भूमि कटाव हो रहा है। दोषी व्यक्ति के विरूद्व विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई।**

   (श्री गोविन्द राम नायक ग्राम व डा0–ट्रोह, जिला मण्डी)

आयुर्वेदा विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया है कि इस बारे में नोटिस जारी किए जा चुके है। मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी को अक्त मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा **मद को समाप्त कर दिया गया।**

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें

9. **सरकारी योजना के तहत भूमिहीन लोगों को सरकारी भूमि मकान बनाने हेतु दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत श्री जंगलू को ग्राम पंचायत ट्रोह मुहाल बुशैहर पटवार सर्कल भलथैहड़ तह0 बल्ह जिला मण्डी में लगभग 0–3–0 विघा भूमि मिली थी। इस भूमि को श्री ठाकुर सिंह पुत्र श्री मिसरू निवासी ट्रोह तह0 बल्ह जिला मण्डी ने अपने पिता मिसरू के नाम करवा दिया है। मिसरू के मरने के बाद यह भूमि श्री ठाकुर सिंह के नाम हो गई। श्री जंगलू हरिजन जाति के परिवार के सदस्यों के पास घर बनाने के लिए भूमि नही है। यह भूमि कैसे ठाकुर सिंह व उनके परिवार के नाम हुई जबकि भूमिहीन लोगों को मिलने वाली जमीन किसी के भी नाम स्थानान्तरण नही होती है। इस जमीन को श्री जंगलू के परिवार वालों को वापिस दिलवाई जाये।**

   (श्री गोविन्द राम नायक ग्राम व डा0–ट्रोह, जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त मण्डी को उक्त मामले में जांच करने बारे आदेश दिए तथा तदोरान्त उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

(राजस्व विभाग)

10. **ओ0बीसी0 प्रमाण पत्र जो नौकरियों इत्यादि में प्रयुक्त होता है उसकी अवधी केवल छः महीने की होती है जिसके कारण छः महीने बाद फिर से बनाने में काफी भाग–दौड़ और पूरी प्रकिया दोबारा करनी पड़ती है। अतः इस अवधी को बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाए। इसके अतिरिक्त महन्त परिवारों में जो लड़कियाँ ब्याह कर ब्राहमण परिवारों से लाई जाती है उनका ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र नही बनता है जबकि वह हमारे कुल में मिल जाती है तथा उनका भी ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र बनना चाहिए।**

    (श्री कौशल राम महन्त ग्राम व डा0 गुम्मा तह0 व जिला शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि ऐसे मामले में पहले भी मद संख्या 132 व 133 पर चर्चा की जा चुकी है और सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा भी इस बारे

आवश्यक अधिसूचना जारी की गई है। अतः यह भी कहा गया कि अधिसूचना को हिन्दी में अनुवाद करके सभी विभागों को जारी कर दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें

11. सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिमला को पीने के पानी के लिए जो गुम्मा खड्ड पर डैम लगाया गया था उसके बनने से उसके नीचे वाले 10–15 ओ0बी0सी0 परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए है। जिनके लिए सरकार द्वारा मुआवज़ा दिया जाना था लेकिन लोगों ने पैसे नही लिए तथा वे लोग रोज़गार चाहते है। अतः इन परिवारों से एक–2 सदस्य सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग में लगाया जाऐं क्योंकि ये परिवार सब्जियां लगाकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन डैम बनने के बाद इनका पानी 2006–07 में लगभग बन्द हो गया था जिस कारण वे बेरोज़गार हो गए है।

(श्री कौशल राम महन्त ग्राम व डा0 गुम्मा तह0 व जिला शिमला)

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सूचित किया गया कि किसी को रोजगार देने का कोई भी फैसला नही लिया गया था और न ही सरकार की ऐसी नीति है। जो यह बांध बनाया गया है उसमें जल भण्डारण नही किया जाता इसका प्रयोग केवल नौटी खड्ड की स्तह को ऊंचा करने व स्थिर रखने के लिए किया जाता है जो जल की मात्रा बांध के ऊपर उपलब्ध है उतनी बांध के नीचे भी उपलब्ध रहती है। अतः ग्रामवासियों का यह कहना गलत है कि बांध बनाने से उनके जल में कमी हुई है। बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने मामले में परीक्षण करने हेतु विभाग को आदेश दिए। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

12. ग्राम पंचायत ढाग–निहाली के गांव मंगुवाल के शिव मन्दिर(शिव द्वाला) में हैण्ड पम्प लगवाने बारे।

(श्री हरपाल सिंह, गांव ढाग उपरली तह0 नालागढ)

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत ढांग–निहाली के गांव मंगुवाल के शिव मन्दिर (शिव दवाला) में हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु भू–विज्ञानी से स्थल का सर्वेक्षण करवा कर यदि Feasible पाया गया तो हैण्डपम्प स्थापित कर दिया जाऐगा। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।**

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

13. शिक्षा विभाग का जो भवन 1957 में ग्राम पंचायत ट्रोह में बनाया गया है, उस जमीन को प्राईवेट स्कूल प्रबन्ध कमेटी के नाम करवा दिया था। स्कूल प्रबन्ध कमेटी 22 साल पहले समाप्त हो चुकी है, और वह प्राईवेट स्कूल भी बन्द हो चुका है, लेकिन उस भूमि का राजस्व कागजात में स्कूल के नाम इन्तकाल नही हुआ है, और ना ही शिक्षा विभाग का माल कागजात में कब्जा दिखाया गया है। इस भूमि को शिक्षा विभाग के नाम करवाया जाए।

(श्री गोविन्द राम नायक ग्राम व डा0–ट्रोह, जिला मण्डी)

उच्चतर शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उप निदेशक शिक्षा जिला मण्डी ने सूचित किया है कि शिक्षा विभाग (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मुन्दडू) के नाम लगभग 12 बीघा 3 बिस्वा 13 बिस्वानी भूमि है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि पुराना प्राईवेट स्कूल का भवन खसरा न0–55 जो कि 04 बिस्वा 07 बिस्वानी भूमि में बना है जो शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है और पाठशाला का जो भवन खसरा न0–59 बना है, उसका रकवा 8 बिस्वा 11 बिस्वानी पर बना है, वह श्री मेहर सिंह, दूर्गा सिंह तथा बीर सिंह सुपुत्र श्री ग्वाल सिंह गांव उनन्द डा0 ट्रोह तह0 बल्ह जिला मण्डी के नाम पर दर्ज है। भूमि स्थानान्तरण प्रक्रिया प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी विभाग को मामले में कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

14. रेणुका विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेडली के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक पाठशाला का दर्जा बढ़ाकर उच्च पाठशाला किया जाना अति–आवश्यक है हाल ही में यहां पर 115 छात्र एंव छात्राऐं शिक्षा ग्रहण कर रहे है यदि यह उच्च विद्यालय हो जाता है तो यहां पर छात्रों की संख्या 200 के करीब होगी।

(श्री राम लाल शर्मा गांव व डा0 बोरली, संगड़ाह सिरमौर)

शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उप निदेशक शिक्षा जिला सिरमौर ने सूचित किया है कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेडली के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक पाठशाला बोरली संचालित है जिसको स्तरोन्नत करने बारे प्रस्तावना सूचना प्राप्त हो गई है। अतः परीक्षणोपरान्त सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में कहा कि यदि उक्त विद्यालय की अगर तर्ग संगति बनती है तो इसे उच्च विद्याालय करने की मंजूरी दी जाती है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

15. ग्राम पंचायत ढाग–निहली के राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढाग उपरली स्कूल के खेल के मैदान को डंगा लगवाने बारे।

(श्री हरपाल सिंह, गांव ढाग उपरली तह0 नालागढ)

बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त उपायुक्त सोलन द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को कहा कि प्राक्कलन तैयार करके भेजे उक्त कार्य हेतु राशि उपलब्ध करवा दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त शिमला से सम्बन्धित मदें

16. ग्राम बड़वा व धार के बीच डीब का नाल नामक स्थान पर पुल न होने से दलित वर्ग के स्कूली बच्चे का बह जाना। सन् 2006 में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शकराह में जय प्रकाश पुत्र श्री केशब राम निवासी बड़वा डा0 शकराह शिमला ग्रामीण नाम का बच्चा जो मिडल स्कूल शकराह में पढ़ता था, स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर को आ रहा था डीब के नाल नामक स्थान पर खड्ड न लांघ सकने के कारण बह गया। पुलिस के तलाश करने के वावजूद भी आजतक कोई पता नही चल सका। कृप्या पुल लगाने हेतु लगभग 1.00 लाख रूपये स्वीकृत करने की अनुकम्पा करे।

(श्री प्रेम दास महन्त ग्राम धार डा0 शकराह तह0 व जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त शिमला द्वारा कहा कि उक्त कार्य हेतु राशि उपलब्ध करवा दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

17. **जुन्गा बाजार में एक पुरानी बिल्डिंग ज़र–ज़र हालात में है, इसको गिराने के लिए पंचायत द्वारा 7 साल से कागज़ी कार्यवाही की जा रही है। ओ0बी0सी0 द्वारा भी इस बावत तीन साल से इस मुद्दे को को उठाया जा रहा है। दो बार माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को भी मौका दिखाया गया है। यह बिल्डिंग सरकारी है। इसके आसपास आबादी है, अचानक गिरने से जानमाल का नुकसान हो सकता है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस बिल्डिंग को शीघ्र गिराने के आदेश जारी करने की कृपा करे।**

(श्री शमशेर सिंह, गांव जुन्गा जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त शिमला द्वारा कहा कि मामले में उचित कार्यवाही कर दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त बिलासपुर से सम्बन्धित मदें

18. **दिनांक 7–12–2016 को माननीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 के बिलासपुर आगमन पर विस्थापित ग्राम विकास समिति जमथल ने NTPC आवास कलौनी जमथल की चार दिवारी के बाहर विधायक सदर के आदेशानुसार धार से लेकर नीहर तक ठेकेदार के माध्यम से सड़क बनवाई है, जिसका 6.00 लाख रू0 NTPC ने नही दिए है। महोदय द्वारा जिलाधीश बिलासपुर को उस राशि को (LADF) के तहत देने के आदेश किए है। अतः शीघ्र दिलवाने की कृपा करे।**

(श्री कृष्ण दास चौधरी गांव व डा0 जमथल, बिलासपुर)

उपायुक्त बिलासपुर से प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 07–12–2016 को माननीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 के जिला बिलासपुर के प्रवास के दौरान प्रधान विस्थापित ग्राम विकास समिति जमथल से एन.टी.पी.सी. की आवासीय कलौनी जमथल की चार दिवारी के बाहर बनाई गई सड़क का खर्चा मु0 छः लाख रूपये दिलाने बारे प्राप्त मांग पत्र महाप्रबन्धक एन.टी.पी.सी. कौल डैम परियोजना बरमाणा को उक्त राशि के भुगतान बारे भेजा जा चुका है। एन.टी.पी.सी. से अभी तक लाडा फण्ड की राशि प्राप्त नही हुई है, जिस कारण उक्त राशि का भुगतान लाडा फण्ड से किया जाना सम्भव नही है। बैठक में चर्चा उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही कर दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

19. **विस्थापित ग्राम विकास समिति जमथल ने धार से लेकर अर्जण राम आदि 5–6 ओ0बी0सी0 परिवारों के लिए जिला परिषद् निधि से सड़क 300 मीटर बनाई है उसको पक्का करने के लिए भी आपने 7–12–2016 को जिलाधीश बिलासपुर को 3.00 लाख रू0 (LADF) निधि से विस्थापित समिति को देने के आदेश दिए है, अतः इसे शीघ्र दिलवाने की कृपा करे।**

(श्री कृष्ण दास चौधरी गांव व डा0 जमथल, बिलासपुर)

उपायुक्त बिलासपुर से प्राप्त सूचना अनुसार एन.टी.पी.सी. से अभी तक लाडा फण्ड की राशि प्राप्त नही हुई है, जिस कारण जिला परिषद् की निधि से बनाई गई सड़क को पक्का करने हेतु लाडा फण्ड से धन

राशि उपलब्ध करवाना सम्भव नही है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि एन.टी.पी.सी. से सम्बन्धित मामला है लेकिन इस बारे में कार्यवाही कर दी जाऐगी। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

20. **NTPC कोल डैम विस्थापितों को स्थाई नौकरी नही दे रही है। माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 में NTPC ने Writ Petition की है, 2011 के बाद स्थाई रोजगार बन्द है। NTPC द्वारा हाईकोर्ट से मुकदमा वापिस लेकर या जल्दी सुनवाई करवा कर विस्थापितों को स्थाई रोजगार दिलाने की कृपा करे।**

(श्री कृष्ण दास चौधरी गांव व डा0 जमथल, बिलासपुर)

उपायुक्त बिलासपुर से प्राप्त सूचना अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में एन.टी.पी.सी. में रोजगार उपलब्ध करवाने बारे विभिन्न विस्थापितों तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा दायर की गई विभिन्न याचिकाओं में उपायुक्त बिलासपुर की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर दायर किया जा चुका है। उक्त याचिकाओं में से एन.टी.पी.सी. द्वारा दायर की गई याचिका है। इन याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई हेतू प्रभावित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

उपायुक्त कांगडा से सम्बन्धित मदें

21. **माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा गत बैठक 23 जनवरी, 2014 को धर्मशाला में दरीणी के लिए एक ओ0बी0सी0 सामुदायिक भवन की स्वीकृति दी थी, लेकिन अभी तक भी कोई कार्यवाही किसी विभाग द्वारा नही की गई।**

(श्री अक्षय कुमार गांव दरीणी, जिला कांगड़ा)

उपायुक्त कांगड़ा ने मद पर चर्चा के दौरान बैठक में सूचित किया है कि उक्त कार्य को पहले ही कर दिया गया है। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।**

तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

22. **जुन्गा में 2007 को खोली गई आई0टी0आई0 अभी तक भी राजा साहिब जुन्गा के महल में चल रही है। आई0टी0आई0 के लिए जगह की तलाश हो गई है, और उसकी कागज़ी कार्यवाही भी पूरी कर ली गई है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि 2017 में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आई0टी0आई0 की बिल्डिंग का शिलान्यास करने की कृपा करे।**

(श्री शमशेर सिंह, गांव जुन्गा जिला शिमला)

तकनीकी शिक्षा विभाग ने मद पर चर्चा के दौरान बैठक में सूचित किया है कि भूमि का हस्तान्तरण हो गया है तथा शीघ्र ही इसका शिलान्यास करवा दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

****

अनुबन्ध–क

दिनांक 18 जनवरी 2017 को प्रातः 10:30 बजे माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा कल्याण बोर्ड की 11वीं बैठक में सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सूचीः–

क्र0 सं0	सरकारी सदस्य	क्र0 सं0	गैर सरकारी सदस्य
1.	श्री वी0सी0 फारका, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार	1.	श्री सुरेन्द्र चौधरी माननीय भूतपूर्व विधायक जिला कांगड़ा
2.	श्री तरूण श्रीधर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)	2.	श्री अजमेर सिंह
3.	श्री कान्त बाल्दी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)	3.	श्री राजेन्द्र पाल तेगटा परमाणू सोलन
4.	श्री संजय गुप्ता प्रधान सचिव (परिवहन, तकनीकी शिक्षा)	4.	श्री जितेन्द्र ब्राक्टा जिला शिमला
5.	श्री एस0एस0 नेगी प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन)	5.	श्री विजय कुमार जिला बिलासपुर
6.	श्री आर0डी0 धीमान प्रधान सचिव (शिक्षा व उद्योग)	6.	श्री गोविन्द राम नायक जिला मण्डी
7.	श्री ओंकार शर्मा सचिव (ग्रामीण विकास एंव पचायती राज)	7.	श्री राम लाल शर्मा जिला सिरमौर
8.	डा0 आर0के0 आन्नद निदेशक पशु पालन	8.	श्री राजेश चौधरी जिला हमीरपुर
9.	श्री टी0जी0 नेगी सलाहकार एंव निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री	9.	श्री हरपाल सिंह जिला सोलन
10.	डा0 बलदेव कुमार निदेशक स्वास्थ्य सेवाऐं	10	श्री जगदीश सिंह सैनी जिला सोलन
11.	श्री के0आर0 सैजल संयुक्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	11.	श्री श्याम लाल बैंस जिला बिलासपुर
12.	श्रीमती भावना संयुक्त निदेशक आयुर्वेदा	12.	श्री के0सी0 सैनी जिला ऊना
13.	श्री सी0पी0 वर्मा उपायुक्त कांगड़ा	13.	श्री देश राज जिला ऊना
14.	श्री वी0आर0आर0 APCCF वन विभाग	14.	श्री योग राज जिला ऊना
15.	श्री बी0सी0 बडालिया उपायुक्त सिरमौर	15.	श्रीमती पवना चौधरी जिला ऊना
16.	सु0श्री रूपाली ठाकुर अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर	16.	श्री प्रताप चन्द जिला कांगड़ा
17.	श्री हरिकेश मीना अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी	17	श्री राम गोपाल जिला कांगड़ा
18.	राकेश प्रजापति अतिरिक्त उपायुक्त शिमला	18.	श्री हंस राज चौधरी जिला कांगड़ा
19.	श्री राघव ठाकुर उपायुक्त बिलासपुर	19.	श्री करनैल सिंह जिला कांगड़ा
20.	श्री यूनुस उपायुक्त कुल्लू	20.	श्री देस राज सयाल जिला हमीरपुर
21.	श्री ऐ0के0 आहूजा संयुक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा	21.	श्री बलवन्त चौधरी जिला हमीरपुर
22.	श्री विनय मोदी सहायक आयुक्त उपायुक्त ऊना	22.	श्री रोशन लाल चौधरी जिला कांगड़ा
23.	श्री निशान्त ठाकुर संयुक्त निदेशक शहरी विकास विभाग	23.	श्री कुशाल कुमार जिला कांगड़ा
24.	इं0 सुरेश ठाकुर मुख्य अभियन्ता (ओ0पी0) नार्थ हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	24.	श्री उमेश कुमार जिला चम्बा
25.	श्री रघुबीर सिंह मुख्य महाप्रबन्धक हि0प्र0 पथ परिवहन निगम	25.	श्री यशपाल
26.	श्री विजय सिंह मण्डलीय प्रबन्धक हि0प्र0 पथ परिवहन निगम धर्मशाला	26.	श्री शमशेर सिंह जिला कांगड़ा
27.	डा0 अश्वनी शर्मा विशेष सचिव (GAD & SAD)	27.	श्री रतन चन्द जिला कांगड़ा

28.	श्री रमेश गंगोत्रा उप निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम	28.	श्री हरि सिंह
29.	श्री जंगम ठाकुर उप निदेशक पर्यटक	29.	श्री हरीश चौधरी जिला कांगड़ा
30.	श्री सुरेश कुमार गन्जू मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कांगड़ा जोन धर्मशाला	30.	श्रीमती सरिता सैनी जिला कांगड़ा
31.	श्री ऐ0के0 कोहू मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग शिमला	31.	श्री धर्म सिंह
32.	श्री अनिल बहारी मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग शिमला	32.	श्री रमेश चंद जिला ऊना
33.	श्री राजेश कुमार (Dy. C.E. Operation Circle HPSEBL Kangra.)	33.	श्री विनोद कुमार जिला ऊना
34.	श्री एस0वी0 शर्मा वरिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग नूरपुर	34.	श्री हरि चन्द
35.	श्री जे0एम0 अवस्थी (Comptroller & Registrar CSKHPKV Palampur.)	35.	श्रीमती जोगिन्द्रा चौधरी जिला कांगड़ा
36.	श्री त्रिलोक ठाकुर सी0ए0ओ0 हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित एंव विकास निगम कांगड़ा	36.	श्री बिशन दास जिला कांगड़ा
37.	श्री प्रदीप कृष्ण निजी सचिव माननीय अध्यक्ष, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित एंव विकास निगम कांगड़ा	37.	श्री शमशेर सिंह जिला शिमला
38.	डा0 हरि चौहान एल0ए0सी0 भाषा एव संस्कृति विभाग	38.	श्री कौशल राम महन्त जिला शिमला
39.	श्री हेम राज शर्मा अतिरिक्त निदेशक उद्यान	39.	श्री प्रेम दास महन्त जिला शिमला
40.	डा0 के0एस0 नेगी SMS उद्यान कार्यालय धर्मशाला	40.	श्री बाबू सिंह जिला कांगड़ा
41.	श्री अरूण कूमार Dy. DEO कांगड़ा धर्मशाला	41.	श्री त्रिलोक चन्द जिला कांगड़ा
42.	श्रीमती आशा मैहता (TCP) धर्मशाला	42.	श्री अक्षय कुमार जिला कांगड़ा
43.	श्री कृष्ण शर्मा उप निदेशक रोजगार	43.	श्री अश्वनी कुमार जिला कांगड़ा
44.	श्री रमेश चन्द निदेशक कृषि	44.	श्री ज्ञान चन्द जिला सिरमौर
45.	श्री ओंकार सिंह बोधपाल RTO धर्मशाला	45.	श्री प्रीतम चन्द जिला कांगड़ा
46.	श्री देश राज निजी सचिव, माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री	46.	श्री रोशन लाल जिला कांगड़ा
47.	श्री संजय शर्मा विशेष कार्यकारी अधिकारी, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री	47.	श्री सिकन्दर सिंह जिला कांगड़ा
		48.	श्री ज्ञान चन्द जिला कांगड़ा
		49.	श्री गणेश दत्त जिला ऊना
		50.	श्री जगदीश चन्द जिला हमीरपुर
		51.	श्री मोहिन्दर चन्द जिला कागड़ा
		52.	श्री कर्म दास जिला बिलासपुर
		53.	श्री प्रकाश चन्द जिला बिलासपुर
		54.	श्री पवन कुमार जिला शिमला
		55.	श्री पवन चौधरी जिला हमीरपुर
		56.	श्री प्रताप चौधरी जिला कांगड़ा
		57.	श्री धर्म चन्द जिला कांगड़ा

	58.	श्री रविन्द्र कुमार सैनी जिला कांगड़ा
	59.	श्री मदन चौधरी जिला कांगड़ा
	60.	श्री कुन्दन जिला शिमला
	61.	श्री अमर सिंह चौधरी जिला कांगड़ा
	62.	श्री दलीप कुमार जिला ऊना
	63.	श्री तारा चन्द जिला ऊना
	64.	श्री रघु दत्त जिला ऊना
	65.	श्री श्रवण कुमार जिला ऊना
	66.	श्री नरेश बनोटिया जिला ऊना
	67.	श्री पंकज कुमार जिला कांगड़ा
	68.	श्रीमती बिमला देवी जिला कांगड़ा
	69.	श्री बिधी चन्द जिला कांगड़ा
	70.	श्री कमल कुमार जिला हमीरपुर
	71.	श्री सुभाष चन्द जिला कांगड़ा
	72.	श्री दिलावर सिंह जिला कांगड़ा
	73.	श्री रणजीत चौधरी जिला कांगड़ा
	74.	कैप्टन प्रताप चौधरी जिला कांगड़ा
	75.	श्रीमती सुनीता चौधरी जिला सिरमौर
	76.	श्रीमती त्रिशला चौधरी जिला सिरमौर
	77.	श्री आदित्य चौधरी जिला सिरमौर
	78.	श्री जगदीश चन्द जिला कांगड़ा
	79.	सुश्री मनभरी देवी जिला कांगड़ा

****